शुक्रवार,
५ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित व्यक्तियों का भरण-पोषण

*९३८. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री ऐसे विस्थापित व्यक्तियों, निराश्रित स्त्रियों तथा बालकों, वृद्ध तथा अपाहिजों तथा उनके आश्रितों की कुल संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिनकी देख भाल तथा भरण-पोषण का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर लिया है ?

(ख) कितने व्यक्ति अपाहिज गृहों आदि में रह रहे हैं और कितनों को बाहर रहते हुए दान मिल रहा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ७५,०४१.

(ख) स्थायी शिविरों, अपाहिजगृहों आदि में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ६३,१८३ है।

ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो बाहर रह कर दान प्राप्त कर रहे हैं, १८,८५८ है।

सरदार हुक्म सिंह : इन वृद्ध तथा अपाहिज व्यक्तियों में से कितनों की देखभाल और भरण-पोषण का उत्तरदायित्व स्थायी रूप से सरकार पर है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं इसकी पूर्व सूचना चाहता हूं।

सरदार हुक्म सिंह : ऐसी अनाश्रित स्त्रियों तथा बालकों या वृद्धों तथा अपाहिजों पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें, शिविरों में, विभिन्न पेशों में, शिक्षा मिली है ?

श्री जे० के० भोंसले : इसकी भी मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को अनाथ, विधवा, अपाहिज तथा वृद्ध विस्थापितों को दान दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुऐ हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इस सम्बन्ध में हमें समय-समय पर प्रार्थना-पत्र मिलते रहे हैं और हम उस सम्बन्ध में कार्यवाही भी करते रहे हैं।

श्री गिडवानी : क्या यह सच नहीं है कि एक अमुक तारीख से भरण-पोषण भत्ता तथा दान नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि प्रार्थनापत्र समय पर नहीं पहुंचे थे ?

श्री ए० पी० जैन : यह प्रश्न भरण-पोषण भत्ते के सम्बन्ध में नहीं है; इसका संबंध तो केवल अपाहिजगृहों आदि से है और उन प्रार्थनापत्रों पर अब भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री गिडवानी : तो क्या प्रश्न 'दान' के बारे में है ?

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं, परन्तु भरण-पोषण भत्ते के बारे में भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने अनाश्रित स्त्रियों तथा बालकों, वृद्ध तथा अपाहिजों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व ले लिया है ?

श्री ए० पी० जैन : भरण-पोषण भत्ता सम्बन्धी एक योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को मासिक भरण-पोषण भत्ता दिया जाता है जो पश्चिमी पाकिस्तान में सम्पत्ति छोड़ कर आये हैं तथा किन्हीं श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किन्हीं असरकारी संस्थाओं ने इन गृहों के चलाने में अपना सहयोग देने के लिये कहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : किन-किन ने ?

श्री जे० के० भोंसले : जैसे कसतूरबा ट्रस्ट, सेव दि चिल्ड्रेन कमेटी, आर्य प्रदेशक प्रतिनिधि सभा, सिंधी स्त्रियों तथा बालकों के लिये ट्रस्ट आदि ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इनमें से किसी को सहायतार्थ अनुदान या ऋण दिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं अनुदानों की कुल संख्या जान सकता हूं ?

श्री जे० के० भोंसले : ट्रस्टों द्वारा चलाये जाने वाले १७ गृहों का सम्पूर्ण व्यय सरकार उठाती है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं सरकार द्वारा स्थापित अपाहिजगृहों की राज्यवार संख्या जान सकता हूं ?

श्री जे० के० भोंसले : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं राज्यों के नाम बतला सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक साधारण सी बात है । नाम पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा । अपाहिजगृहों की संख्या बतला दी जावे ।

श्री जे० के० भोंसले : ६५

श्री टी० के० चौधरी : क्या आप पश्चिमी बंगाल में अपाहिजगृहों की संख्या बतला सकते हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : पूर्वी महाखंड में २० हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मद्रास राज्य में कितनी असरकारी संस्थाओं ने सहायता प्रस्तुत की है और वहां कितने अपाहिजगृह खोले गये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : मद्रास में कोई अपाहिजगृह नहीं है ।

विज्ञापन

*९३९. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय की विज्ञापन मंत्रणा शाखा असरकारी व्यक्तियों अथवा सार्थों के विज्ञापनों का काम भी करती है ?

(ख) अप्रैल-सितम्बर, १९५२ में इस शाखा द्वारा कुल कितने विज्ञापन निकाले गये थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा०केसकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) २,५५३.

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि ये विज्ञापन कितने समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में निकाले गये थे ?

डा० केसकर : लगभग २०० में ।

सरदार हुक्म सिंह : भारतीय भाषाओं में कितने प्रतिशत विज्ञापन निकाले गये थे ?

डा० केसकर : उनमें से अधिकांश, यानी ७५ प्रतिशत, भारतीय भाषाओं में ही थे ।

सरदार हुक्म सिंह : और किसी विदेशी भाषा में ?

डा० केसकर : अंग्रेजी को छोड़कर किसी में नहीं ।

श्री नम्बियार : क्या विज्ञापन देते समय राजनैतिक बातों का भी ध्यान रखा जाता है और क्या कुछ विशेष दलों द्वारा नियन्त्रित कुछ पत्रों में विज्ञापन नहीं दिये जाते जबकि कुछ अन्य दलों के पत्रों में दिये जाते हैं ?

डा० केसकर : जी नहीं । बात उसके विपरीत है ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं अंग्रेजी तथा भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं के विज्ञापनों पर व्यय होने वाली धनराशियों की प्रतिशतता जान सकता हूं ?

डा० केसकर : मैं प्रश्न नहीं समझ सका । भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं से क्या अभिप्राय है ?

श्री के० जी० देशमुख : भारतीय भाषाएं ।

डा० केसकर : प्रतिशतता लगभग बराबर-बराबर है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : विज्ञापनों का दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों में किस प्रकार वितरण किया जाता है ?

डा० केसकर : मैं इसका उत्तर इस समय नहीं दे सकता ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मंत्रालय इस शाखा का प्राय: उपयोग करता है ?

डा० केसकर : इस समय स्थिति यह है कि 'डिसप्ले' (प्रदर्शनात्मक) विज्ञापन तो सब इसी मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं और 'क्लासीफाइड' (वर्गीकृत) विज्ञापन कुछ मंत्रालय सीधे ही दे देते हैं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या पत्रों को विज्ञापन प्राप्त करने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं ?

डा० केसकर : जी हां ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इन विज्ञापनों के ऊपर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

डा० केसकर : 'डिसप्ले' (प्रदर्शनात्मक) विज्ञापनों पर कुल २,९५,५०० रुपये व्यय हुए ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री ने कहा कि पत्रों को विज्ञापन प्राप्त करने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि वे शर्तें कौन-कौन सी हैं ?

डा० केसकर : मैं इसकी पूर्व सूचना चाहता हूं । शर्तें पूर्णत: आर्थिक हैं तथा शायद वे ही हैं जो अन्य वाणिज्यिक विज्ञापनों के सम्बन्ध में लगाई जाती हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पत्रों का चुनाव करते समय केवल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अमुक पत्र कितनी संख्या में छपता है या कुछ अन्य बातें भी हैं ?

डा० केसकर : खास चीज यही होती है कि अमुक पत्र कितनी संख्या में छपता है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या सरकार ऐसे समाचारपत्रों की 'ब्लैक लिस्ट' रखती है जिन्हें विज्ञापन नहीं दिया जाता है ?

डा० केसकर : सरकार समाचारपत्रों की सूची तो रखती है, परन्तु मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि वह 'ब्लैक लिस्ट' होती है या 'रैड लिस्ट' ।

गैस बनाने वाले कोयले का आस्ट्रेलिया को निर्यात ।

*९४०. **डा० रामसुभग सिंह :** क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत आस्ट्रेलिया को गैस बनाने वाला कोयला भेजता है ?

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में अब तक कितना गैस बनाने वाला कोयला आस्ट्रेलिया भेजा गया है; तथा

(ग) क्या आस्ट्रेलिया को इस वर्ष और अधिक कोयला भेजे जाने की सम्भावना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर १९५२ में ५४,२८९ टन ।

(ग) जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारत आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त किसी अन्य देश को भी यह गैस बनाने वाला कोयला भेजता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी मैं अभी नहीं दे सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात भी मुख्य प्रश्न में शामिल क्यों नहीं कर दी गई ? माननीय सदस्य कुछ बातें अनुपूरक प्रश्नों के रूप में पूछी जाने के लिये रखते हैं। जब प्रश्न रखा गया था उस समय उसमें आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त अन्य देश भी सम्मिलित किये जा सकते थे । अध्यक्ष मंत्री से हरेक प्रश्न का तुरन्त उत्तर देने के लिये तैयार रहने के लिये नहीं कह सकता । आस्ट्रेलिया के साथ-साथ किसी भी और देश के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी ।

डा० राम सुभग सिंह : इस प्रश्न की आवश्यकता इसलिये पड़ी, क्योंकि यदि कोयला किसी अन्य देश को भेजा जाता है तो उस दशा में हमें कीमतों की तुलना करनी पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना तो यह है कि प्रश्न में यह पूछा जा सकता था कि क्या गैस बनाने वाला कोयला आस्ट्रेलिया तथा अन्य देश को भेजा जाता है । ऐसा आसानी से हो सकता था । इसके अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछे जाने की क्या जरूरत थी ?

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? होता यह है कि जब हम किसी देश की किसी खास चीज़ के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसकी यहां सूचना मिलने पर ही हमें उसका पता लगता है और तब हम आगे प्रश्न पूछते हैं । हम निश्चय-पूर्वक यह नहीं कह सकते कि अन्य देशों को कोयला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है । अतऐव पर्याप्त जानकारी के अभाव में यह ठीक न होता कि अन्य देशों के बारे में जानकारी मांगी जाती । सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने के बाद इस प्रश्न का पूछा जाना न्यायोचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य सरकार को इस बात पर विचार करने का मौका दे सकते थे कि किसी अन्य देश को भी निर्यात किया जाता है या नहीं । माननीय सदस्य के मस्तिष्क में यकायक यह बात कैसे आ गई कि उन्हें यह प्रश्न पूछना चाहिये ? यदि यह प्रश्न इस समय संगत है, तो उस समय भी संगत होगा और यदि यह उस समय असंगत था तो इस समय भी असंगत होगा । मैं उस प्रश्न को स्वीकार नहीं करूंगा ।

श्री जयपाल सिंह : भारत ने आस्ट्रेलिया को गैस बनाने वाले कितने कोयले का निर्यात किया तथा उसका निर्यात की कुल मात्रा से क्या अनुपात है ?

डा० राम सुभग सिंह : यही तो मुख्य चीज है; हम यही तो जानना चाहते थे ।

श्री के० सी० रेड्डी : निर्यात किये गये सब प्रकार के कोयले की कुल मात्रा इस प्रकार है :

१९४९	२,०७,८१७ टन
१९५०	२,४६,२५२ "
१९५१	१,३२,४१८ "
१९५२	१,८५,२०२ "

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुपात जानना चाहते हैं । वह यह जानना चाहते हैं कि दुनिया के अन्य देशों को किये जाने वाले निर्यात का कितने प्रतिशत भाग आस्ट्रेलिया को जाता है ।

माननीय सदस्यों ने मेरे कहने को ग़लत समझा है । मैं तो केवल यह चाहता हूं : किसी प्रश्न के पूछे जाने का उद्देश्य यह होता है कि यदि किसी सदस्य को कोई जानकारी किसी अन्य सूत्र से न मिल सके तो वह सरकार से मांगी जा सके । प्रश्न जिरह करने या सरकार से कोई बात यकायक मालूम करने के लिये नहीं पूछा जाता ।

जो माननीय सदस्य प्रश्न प्रस्तुत करते हैं वह सब बातें मूल प्रश्न में ही शामिल कर सकते हैं । उस दशा में सरकार उनका उत्तर देने के लिये तैयार रहेगी । उन प्रश्नों के बाद अन्य माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं । अतः सरकार से ऐसे प्रश्न न पूछे जायें जिनके लिये वह तैयार न हो । प्रश्न पूछने का मुख्य अभिप्राय यह होता है कि जिस विषय पर अन्य प्रकाशित कागजों से या पुस्तकालय आदि में जानकारी न मिल सके उस पर सरकार से सूचना प्राप्त की जाये ।

श्री के० सी० रेड्डी : १,३२,४१८ टन में से गैस बनाने वाला कोयला कोई ९९,०२५ टन था । अधिकांश रूप से गैस बनाने वाला कोयला ही था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह पूछना उचित तथा नैतिक रूप से न्यायोचित होगा कि हमारे कुल उत्पादन का कितना भाग आस्ट्रेलिया भेजा जाता है और कितना यहीं काम में लाया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य, जिन्होंने मूल प्रश्न रखा है, इन प्रश्नों को ऐन वक्त पर न पूछ कर पहले पूछ सकते थे । मैं यह बात अन्य सदस्यों के लिये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वे तो प्रश्नों के बारे में उस समय तक नहीं जान सकते जब तक कि उन्हें सब प्रश्न पहले से ही न दिये जायें। वे अनुपूरक प्रश्न अपेक्षित जानकारी मिल जाने के बाद ही पूछ सकते हैं । वस्तुतः यह बात तो मैंने प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य से कही थी कि वह पहले से ही सब बातों का अनुमान लगा कर सरकार से जानकारी मांगें ताकि सरकार उन सब बातों का उत्तर देने के लिये तैयार रहे । आखिर, सरकार से प्रत्येक सम्भव प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार रहने के लिये कहना निरर्थक होगा ।

श्री के० सी० रेड्डी : विशेष रूप से उन आंकड़ों के सम्बन्ध में जिनके बताये जाने में बड़ी सावधानी से काम लिया जाना होता है ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या कोयले से गैस यहां इस देश में भी बनाई जाती है ? यदि बनाई जाती है, तो कहां, कितनी मात्रा में, किस प्रयोजनार्थ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्यों ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय क्या इसके अन्तर्गत गैस बनाने वाले कोयले सम्बन्धी सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं ? अगला प्रश्न ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

***९४१. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष की १ जुलाई से भारत में पाकिस्तान से कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया; तथा

(ख) इसी अवधि में भारत से पाकिस्तान को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). जुलाई से अक्तूबर १९५२ तक के चार मासों में, पाकिस्तान से भारत में ६ करोड़ २४ लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया तथा भारत से पाकिस्तान को ९ करोड़ २५ लाख रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया।

डा० राम सुभग सिंह : क्या निर्यात की गई वस्तुओं के इस मूल्य में उस गेहूं की कीमत भी शामिल है जो पाकिस्तान भेजा गया था ?

श्री करमरकर : ये आंकड़े वास्तविक निर्यात तथा आयात के सम्बन्ध में हैं। मैं समझता हूं इनमें उसकी कीमत भी शामिल है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जो वस्तुएं भेजी जाती हैं उनमें मुख्य कौन-कौन सी हैं ?

श्री करमरकर : इन चार मासों में ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां।

श्री करमरकर : विशेष रूप से इन चार मासों के सम्बन्ध में तो मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। हां, मैं अपने निर्यात और आयात के विषय में सामान्य रूप से सूचना दे सकता हूं। यह एक लम्बी सूची है। ये-ये चीजें हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह बात मुख्य प्रश्न में शामिल नहीं की जा सकती थी ? यह तो एक लम्बी सूची होगी : इसमें कालीमिर्च, अदरख आदि सभी चीजें तो होंगी.....

डा० राम सुभग सिंह : यह कैसे सम्भव हो सकता था ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यदि माननीय सदस्य अलग-अलग ब्यौरा ही चाहते थे तो एक सूची दी जा सकती थी। इससे सदन का समय १०० मदों को पढ़ कर सुनाने में नष्ट नहीं होता तथा इस समय का उपयोग अन्य प्रश्नों के पूछे जाने में किया जा सकता था।

डा० राम सुभग सिंह : सारी कठिनाई यह है। पहले सूची पर बहुत सी चीजें थीं। आजकल अधिकांश वस्तुओं का व्यापार शनैः शनैः कम होता जा रहा है। उस समय, जबकि मैंने यह प्रश्न पूछा था, यह बात नहीं थी कि मैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह बात आपको पिछले दस दिनों के भीतर ही मालूम हुई है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां। बहुत सी ऐसी चीजें हैं....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

डा० राम सुभग सिंह : कई चीजों का निर्यात किया जाता था; अब वे नहीं भेजी जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक बहाना है। प्रश्न प्रस्तुत करते समय आपको यह पता होगा। क्या आप यह आशा करते हैं कि इन दस दिनों में जो कुछ हुआ माननीय मंत्री उसकी भी जानकारी रखें ?

डा० राम सुभग सिंह : सारी कठिनाई यह है। यह प्रश्न १ जनवरी से लेकर अब तक के आयातों और निर्यातों से सम्बन्ध रखता है। आज तक की सब चीजें इसके अन्तर्गत आ सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना केवल यह है : प्रश्न में आयात का मूल्य पूछा गया था; उसके साथ-साथ ही यह क्यों नहीं पूछ लिया गया कि आयात की वस्तुएं कौन-कौन सी थीं ? माननीय सदस्य ने यह प्रश्न बाद में पूछे जाने के लिये क्यों रख लिया ? यदि माननीय मंत्री के पास यह जानकारी मौजूद हो तो भी उन्हें पढ़ कर सुनाने में सदन का समय क्यों नष्ट किया जाये ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं यह जानना.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । यह बिल्कुल अनुचित प्रश्न है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी भी प्रश्न के पूछे जाने की इजाजत नहीं दूंगा । सौ प्रश्न पूछे जाने हैं । यदि मैं इन प्रश्नों के पूछे जाने की इजाजत दे दूं तो फिर मैं अन्य सदस्यों के प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के लिये समय कैसे निकालूंगा ?

श्री गाडगिल : मुझे एक निवेदन करना है, श्रीमान् । अब तक माननीय अध्यक्ष तथा अन्य संगत अनुपूरक प्रश्नों के पूछे जाने की अनुमति देने में काफी उदार रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या विशेष बात हो गई है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, भारत-पाकिस्तान के बीच आयात और निर्यात सम्बन्धी नीति में इतनी जल्दी-जल्दी परिवर्तन हुए हैं कि कुछ सदस्यों को इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछने की छूट दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इधर होते तब भी मैं यही करता ।

श्री गाडगिल : यदि मैं दूसरी तरफ होऊं तब भी आप मुझे अधिक उत्तर-दाता पायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज ही कोई विशेष बात नहीं हुई है । मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार पहले भी मैंने यह कहा था कि माननीय सदस्यों को यहां ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहियें जो मूल प्रश्न में शामिल किये जा सकते हैं । जिन सदस्यों ने प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । यदि उन्हें कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना है तो वे पूछ सकते हैं । जबकि माननीय सदस्य ने आयात की गई वस्तुओं का मूल्य पूछा था, उसी के साथ वह वस्तुओं की सूची भी मांग सकते थे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यदि सभी प्रश्न मूल प्रश्न के साथ पूछे जायें तो फिर तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न में अन्तर ही क्या रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं काल्पनिक तर्क में नहीं पड़ना चाहता ।

श्री वैलायुधन : तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रश्न प्रस्तुत करने वाले को अनुपूरक प्रश्न पूछने ही नहीं चाहियें ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं; वह उत्तर के फलस्वरूप उत्पन्न प्रश्न पूछ सकता है । यदि उत्तर नकारात्मक है, तो वैसे तो उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते, फिर भी कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा, जब आयात की गई वस्तुओं की कीमत पूछी जाती है, तो उसी के साथ चीजों के नाम भी पूछे जा सकते हैं । फिर, उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । इन मामलों में मेरा निर्णय मांगने से कोई लाभ नहीं है । हरेक सदस्य, जो इस पद को ग्रहण करेगा, ऐसा ही निर्णय देगा । प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह इस बात का ख्याल रखेगा कि सदन का समय नियमों के पढ़ने में नष्ट न हो ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पाकिस्तान द्वारा भारत को भेजी जाने वाली सब चीजों पर २ रुपये ८ आने प्रति मन का विशेष विभेदात्मक शुल्क अब भी लगाया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मेरी जानकारी तो यह है कि पटसन पर २ रुपये ८ आने प्रति मन का शुल्क है ।

सरदार हुक्म सिंह : हम जो चीजें पाकिस्तान भेजते हैं, क्या उन पर भी कोई विभेदात्मक शुल्क लगता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई शुल्क लगता है। जहां तक मुझे सूचना है, ऐसा कोई विभेदात्मक शुल्क नहीं है, परन्तु आयात शुल्क, जो केवल इसलिये बढ़ा दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान को निर्यात करने का एकाधिकार करीब-करीब हमें ही प्राप्त है, प्रायः इस विभेदात्मक कार्यवाही का कारण बन जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ चीजों पर जिन पर पहले कोई शुल्क नहीं लगता था—जैसे पान—, अभी ३० प्रतिशत शुल्क लगा दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ठीक-ठीक ब्यौरा तो न बतला सकूंगा; हां, यह सच है कि कुछ शुल्कों में वृद्धि हुई है, और यह बात भी सच मालूम होती है कि पान अब वहां नहीं जा रहे हैं। जैसा कि इन आंकड़ों के ब्यौरे से पता चलेगा, जबकि जुलाई में हमने कोई १३ लाख रुपये के पान भेजे थे, अगस्त में केवल ४ लाख रुपये के, सितम्बर में १९,००० रुपये के और अक्तूबर में ६,००० रुपये के ही पान भेजे गये। स्पष्ट है कि इस देश द्वारा आयातों या निर्यातों को सीमित करने के लिये अवश्य ही कुछ किया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने अभी यह पता नहीं लगाया है कि यह 'कुछ' क्या है जो सरकार द्वारा किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार ने पता तो लगाया है; परन्तु एक सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न देश द्वारा आयात होने देने का प्रश्न ऐसा है कि इस सम्बन्ध में सरकार कूटनीतिक प्रणाली के द्वारा लिखापढ़ी करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या हमारे पाकिस्तान को निर्यात तथा वहां से आयात के सम्बन्ध में कोई ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं की भी व्यवस्था है जो अन्य देशों को प्राप्य नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं तो केवल यह कहूंगा कि जहां तक हमारा प्रश्न है, केवलमात्र विभेद पटसन के सम्बन्ध में है जिस पर विभेदात्मक शुल्क लगा हुआ है। कच्ची गांठों और पक्की गांठों के सम्बन्ध में भी कुछ शुल्क लगा हुआ है। क्योंकि भारत केवल कच्ची गांठें खरीदता है, अतः कच्ची गांठों के निर्यात पर अधिक अनुज्ञप्ति शुल्क एक विभेदात्मक कार्यवाही है। जैसा कि इस सदन के माननीय सदयों को विदित है, भारत सरकार ने व्यापार तथा तट-कर सम्बन्धी सामान्य करार पर हस्ताक्षर करने वालों की बैठक में, जो हाल ही में जनेवा में हुई थी, इस विभेदात्मक कार्यवाही पर विरोध प्रदर्शित किया है।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि पान पाकिस्तान से भारत भारतीय हवाई कम्पनियों द्वारा लाये जाते हैं ?

श्री करमरकर : यह ठीक है। जांच करने पर मुझे पता लगा है कि गत बार हमने पाकिस्तान से ४ लाख रुपये के पान मंगवाये जबकि पाकिस्तान को हमारा निर्यात १ करोड़ रुपये का था।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार को किन्हीं ऐसे नये प्रतिबन्धों का पता है जो पाकिस्तान द्वारा पानों के भारत से आयात पर लगाये गये हों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक के बाद एक प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। मैं उन्हें कोई प्राथमिकता देने में असमर्थ हूं।

डा० राम सुभग सिंह उठे—

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच नहीं है कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने डा० राम सुभग सिंह का नाम पुकारा है ।

डा० राम सुभग सिंह : भारत ने पाकिस्तान द्वारा पटसन पर २ रुपये ८ आने प्रति मन का शुल्क लगाये जाने के विभेदात्मक बर्ताव के विरुद्ध जी. ए. ए. टी. संस्था से जो विरोध किया था उसका क्या परिणाम निकला?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी. ए. ए. टी. के अधिवेशन के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों, भारत तथा पाकिस्तान, से अपने अपने उत्तर देने के लिये कहा था । पाकिस्तान उत्तर देने के लिये समय चाहता था, अतः अधिवेशन समाप्त हो गया । अब यह मामला अन्तर्सत्र समिति के हाथ में है जो इस प्रकार की शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करती है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या लन्दन में भारत तथा पाकिस्तान के बीच, दोनों देशों के मध्य पुनः सामान्य व्यापार चालू करने के सम्बन्ध में, बातचीत चल रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो इतना कहूंगा कि जब निर्यातों और आयातों के मूल्य के संबन्ध में प्रश्न पूछा गया था, उस समय नीति के सम्बन्ध में पूछा जा सकता था । खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अब मैं बाकी का समय इस प्रश्न के लिये दे दूंगा ।

श्री गाडगिल : क्या सरकार ने, वर्तमान नीति के अन्तर्गत, इस बात का पता लगाया है कि वह पाकिस्तान के साथ व्यापार के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही कर सकती है या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र जानते होंगे कि एक अन्य स्वतन्त्र देश से सम्बन्धित मामलों में प्रयत्नों का प्रभाव सीमित होता है । जहां तक सम्भव हो सकता है, हम पाकिस्तान के साथ इस विषय में प्रभावपूर्ण ढंग से बातचीत जारी रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी बतला दूं कि कभी-कभी किसी विषय विशेष में आवश्यकता से अधिक रुचि लेने से प्रभाव अधिक होने की बजाय कम हो जाता है ।

श्री गाडगिल : अभी कहा गया था कि यहां पाकिस्तान से पान आने दिये जाते हैं । क्या पाकिस्तान से पानों का आयात रोक कर—यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा बदले की भावना से ही किया जाये—पाकिस्तान के रुख को एक बड़ी सीमा तक ठीक नही किया जा सकता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस सम्बन्ध में कुछ भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना है । कुछ पान भारत के ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं कि वहां से वे पाकिस्तान के अतिरिक्त कहीं और नहीं भेजे जा सकते । इस परिस्थिति में, सरकार को पानों के पाकिस्तान भेजे जाने पर रोक लगाने से पहले सब बातें ठोक-बजा कर देखनी पड़ती हैं, क्योंकि यदि ऐसा कर दिया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि स्वयं हमारे ही लोगों को नुकसान पहुंचेगा । क्या हम केवलमात्र प्रतिष्ठा के लिये अपने लोगों को नुकसान होने दें, विशेष रूप से उस दशा में जबकि वे किसी जगह अपने पान बेच सकते हैं ? मामले पर वास्तव में विचार किया जा रहा है ; हम उस क्षेत्र से, जो माननीय सदस्य के ध्यान में है, पानों को बे रोक टोक नहीं जाने दे रहे हैं ।

श्री गाडगिल : क्या मैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस तरह से तो हम बहस में पड़ते जा रहे हैं । यदि माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते हैं तो वह उसके लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री पाटस्कर : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

पटसन

*९४२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत काल में जो हमारा पटसन खरीद रहे थे उन्होंने पटसन के स्थान में काम आने वाली किन किन वस्तुओं का पता लगाया है और इन वस्तुओं ने हाल के वर्षों में हमारे कच्चे पटसन तथा पटसन की वस्तुओं की प्रदाय का कहां सब स्थान ले लिया है ?

(ख) पटसन पर अधिकतम निर्यात शुल्क कितना लगाया गया था और उसमें किस प्रकार से कमी की गई है ?

(ग) निर्यात शुल्क में कमी होने से हमारे पटसन उद्योग को कहां तक सहायता मिली है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जहां तक पटसन की बनी वस्तुओं का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने उस उत्तर की ओर दिलाता हूं जो मैंने १६ जुलाई, १९५२ को श्री ए० सी० गुहा के तारांकित प्रश्न संख्या १७९१ के सम्बन्ध में दिया था । कच्चे पटसन के निर्यात की अनुमति नहीं है । इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि अन्य वस्तुओं ने किस सीमा तक पटसन का स्थान लिया है ।

(ख) कच्चे पटसन पर अधिकतम नियोत शुल्क १५ रुपये प्रति गांठ लम्बे रेशे के पटसन पर और ४ रुपये ८ आने प्रति गांठ कतरन पर रहा है । यद्यपि अब कच्चा पटसन बाहर नहीं भेजा जाता है, तथापि ये दरें अब भी चालू हैं । यदि माननीय सदस्य के ध्यान में पटसन की बनी वस्तुएं हैं, तो टाट पर अधिकतम निर्यात शुल्क १५०० रुपये प्रति टन था जो २० नवम्बर १९५० को लागू किया गया था । बाद में यह घटा कर १८ फरवरी को ७५० रुपये प्रति टन तथा ७ मार्च १९५२ को २७५ रुपये प्रति टन कर दिया गया था । बोरियों पर अधिकतम निर्यात शुल्क ३० मार्च, १९५१ से ७ मई, १९५२ तक ३५० रुपये प्रति टन था । ७ मई, १९५२ से यह घटा कर १७५ रुपये प्रति टन कर दिया गया ।

(ग) पटसन की बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत और विदेशों में प्रचलित कीमतों के बीच अन्तर समाप्त किया जा सके । अतएव पटसन उद्योग को सहायता उतनी निर्यात शुल्क के कम हो जाने से नहीं मिली है, जितनी कि भारतीय सामान की वर्तमान कम कीमतों से ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हुई है विशेष रूप से अमरीका में इस बात के जाहिर करने के लिये कि हमारे.....

उपाध्यक्ष महोदय : अंग्रेजी में बोलिये ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सरकार ने अब तक, विशेष रूप से अमेरिका में, हमारे ग्राहकों को यह दिखलाने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं कि हमारी वस्तुएं सब से सस्ती तथा अच्छी होती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक ऐसा विषय है जिसमें सरकार सामान्य रूप से कोई कार्यवाही नहीं करती । मैं समझता हूं कि भारतीय पटसन निर्माता संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रचार आन्दोलन प्रारम्भ किया है तथा सरकार उसके परिणामों को बड़े ध्यान से देख रही है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सच है कि हमारे अमरीकी ग्राहक पटसन के स्थान में काम आने वाली अन्य वस्तुओं के अभ्यस्त हो गये हैं और अब वे हमारी वस्तुओं

का—विशेष रूप से पैकिंग में काम आने वाली चीजों का—प्रयोग नहीं करना चाहते ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो निःसन्देह सच है कि अमरीकी उपभोक्ता अब पटसन के स्थान में काम आने वाली वस्तुओं के आदी हो गये हैं। परन्तु हमें आशा है कि उनकी पटसन के थैलों के प्रयोग करने में हिचकिचाहट धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

डा० राम सुभग सिंह : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमान्। इस प्रश्न से अमेरिका में आन्दोलन की बात कैसे उठती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी हुई कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया; परन्तु मेरा भी काम यही है कि मैं यह निर्णय करूं कि कौन सा प्रश्न उचित है और कौन सा अनुचित।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या पटसन के निर्यात पर शुल्क की दर जो, इस वर्ष के प्रारम्भ से बढ़नी शुरु हुई, वैसी ही कायम रखी गई है और हाल के मासों के आंकड़े क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि आंकड़े मैं पहले बतला चुका हूं; मैं दुबारा भी बतला देता परन्तु दुर्भाग्य से आंकड़े इस समय मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या सरकार ने अमेरिका में पटसन के थैलों के प्रचार आन्दोलन के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने अभी इसी प्रश्न का उत्तर दिया तो है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: वह प्रश्न तो भिन्न था, श्रीमान्। उसका सम्बन्ध तो प्रचार आन्दोलन से था और माननीय मंत्री ने संघ द्वारा किये गये प्रचार की ओर निर्देश किया था।

क्या सरकार ने कोई वित्तीय सहायता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां। अमेरिका में पटसन की वस्तुओं का जो प्रचार किया जा रहा है उसके लिये सरकार ने २५,००० डालर की प्रतीक सहायता दी है।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार इन व्यापार संस्थाओं से यह प्रार्थना करेगी कि वह पटसन उद्योग में मंदी दूर करने के उद्देश्य से गैर-डौलर क्षेत्रों के साथ व्यापार आरम्भ कर दें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य का यह सुझाव मान सकता हूं।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : क्या इस वर्ष के आरम्भ म हमारे आयात में जो वृद्धि हुई वह पैकिंग के सामान या टाट से सम्बन्ध रखती थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई बात अवश्य बतलाता, परन्तु दुर्भाग्य से इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि प्रश्न इस सम्बन्ध में नहीं था। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी निजी रूप से देने के लिये पूर्णतः तैयार हूं और यदि वह प्रश्न पूछना चाहें तो उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री झुनझुनवाला : पटसन के स्थान में जो वस्तुएं प्रयोग की जा रही हैं उनका तुलनात्मक मूल्य तथा किस्म क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय संयुक्त राज्य अमेरिका में पटसन के स्थान म प्रयोग की जा रही वस्तुओं से है, तो ये अधिकांश रूप से कागज के थैले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वभावतः ये सस्ते होंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुछ ही सस्ते हैं।

श्री झुनझुनवाला : मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कितने प्रतिशत सस्ते हैं ताकि हम यह

देख सकें कि इस देश में पटसन की बनी वस्तुओं की कीमत में कुछ कमी हो सकती है या नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री टी० टी०कृष्णमाचारी : मेरे पास यह जानकारी थी, किन्तु मुझे खेद है कि मैं आंकड़े यहां नहीं लाया हूं । हां, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें बाद में बतला सकता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या अमेरिका में टाट की मांग फिर बढ़ रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : टाट का बाजार उन बाजारों में से एक है जिनमें बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होते रहते ह; अतः मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता हूं कि मांग बढ़ रही है या नहीं, क्योंकि एक हफ्ते हम इसे बढ़ते देखते हैं तो दूसरे हफ्ते उसमें कमी आ जाती है ।

चाय निर्यात

*९४३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथ उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से लेकर १९५१ तक के प्रत्येक वर्ष में भारत से बाहर भेजी गई चाय का मूल्य तथा परिमाण ;

(ख) दुनिया के चाय बाजार में भारत के साथ कौन-कौन से देश प्रतियोगिता कर रहे हैं ;

(ग) अन्य चाय उत्पादक देशों की खुला-बाजार-नीति के मुकाबले में भारत सरकार की चाय का संयुक्त राजतंत्र के द्वारा यूरोपीय देशों को पुनः निर्यात करने की नीति कहां तक सफल हुई है ;

(घ) वर्ष १९५२-५३ के पहले तीन मासों में विश्व बाजार में भारतीय चाय की मांग कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ५. अनुबन्ध संख्या ४०**]।

(ग) संयुक्त राजतंत्र के द्वारा यूरोपीय देशों को चाय के पुनः निर्यात के सम्बन्ध में भारत सरकार की तथा अन्य चाय उत्पादक देशों की नीति में अब कोई अन्तर नहीं है ।

(घ) वर्ष १९५२–५३ के पहले तीन मासों में भारतीय चाय का कुल निर्यात ५७१ लाख पौंड था ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या निर्यात संवर्द्धन समिति की सिफारिश के अनुसार, दक्षिण भारतीय निर्यात चाय को, जो लंका की अच्छी से अच्छी चाय से प्रतियोगिता कर सकती है, दुहरे करारोपण से मुक्त कर दिया गया है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को चाय के देशी डिब्बों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं और क्या एक समाचार-पत्र में एक तस्वीर छपी थी जिसमें भारतीय चाय भारतीय डिब्बों में तथा पाकिस्तानी चाय विदेशी डिब्बों में दिखलाई गई थी तथा भारतीय डिब्बे टूटे हुए दिखलाये गये थे ?

श्री करमरकर : डिब्बों तथा समाचार-पत्र दोनों के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न पहले भी कई अवसरों पर नहीं पूछा जा चुका है ?

श्री करमरकर : यह कई बार पूछा जा चुका है ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया कि संयुक्त राजतंत्र के द्वारा यूरोपीय देशों को चाय के पुनः निर्यात के सम्बन्ध में भारत सरकार की तथा अन्य चाय उत्पादक देशों की

नीति में अब कोई अन्तर नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि पहले क्या अन्तर था ?

श्री करमरकर : पहले कोई अन्तर नहीं था । हमने चाय के, संयुक्त राजतंत्र में आयात होने के पश्चात्, पुनः निर्यात किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की । युद्धोत्तर काल में एक अवस्था पर हमारा यह उद्देश्य थां कि कलकत्ता और कोचीन में भारतीय चाय के लिये नीलाम केन्द्र खोले जायें । विगत काल में भारतीय चाय के पुनः निर्यात की इस डर से अनुमति नहीं दी जाती थी कि कहीं विदेशी खरीदार कलकत्ते से खरीदना न बन्द कर दें; हां, संयुक्त राजतंत्र होकर खुला निर्यात अनुमत था । परन्तु कीमतों में बहुत कमी हो जाने के कारण तथा चाय को-निकालने के बढ़े हुए साधन ढूंढने की आवश्यकता के कारण यह ख्याल किया गया कि संयुक्त राजतंत्र से भारतीय चाय के पुनः निर्यात किये जाने की अनुमति दे दी जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त : अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार प्रसार बोर्ड को छोड़ने के बाद हमारा काम किस प्रकार चल रहा है ?

श्री करमरकर: मैं इसकी पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री सरमा : क्या ब्रिटेन किन्हीं अन्य देशों से भी चाय मंगवाता है तथा यदि मंगवाता है तो किन-किन से ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : लंका हमारा बड़ा प्रतियोगी है; अन्य देश पाकिस्तान, इंडोनेशिया तथा पूर्व अफ्रीका हैं ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्.....

श्री सरमा—उठे

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाय क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं । मुझे यकीन है कि वह जानते हैं कि लंका, इंडोनेशिया आदि चाय के उत्पादक हैं ।

श्री सरमा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अगले प्रश्न से यह स्पष्ट हो जायेगा कि मैं क्या पूछना चाहता हूं । ब्रिटेन में थोक मूल्यों तथा खुदरा बिक्री के लिये निश्चित किये गये अधिकतम मूल्य तथा वहां के गत मास के औसत बाजार भाव में क्या अन्तर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में, जो मैंने दिया था, आधे घंटा की चर्चा की जाने की मांग की है । मेरे ख्याल में अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार भी कर लिया है । मैं समझता हूं इन प्रश्नों के लिये वह समय बहुत उपयुक्त होगा । तब तक मैं सब आंकड़े प्राप्त कर लूंगा और माननीय सदस्य को सब सम्भव जानकारी दे दूंगा ।

श्री सरमा : मैं समझता हूं कि गतबार जब हमने चर्चा की थी उसके बाद ब्रिटेन में चाय का राशन समाप्त हो गया है । अतएव मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि ब्रिटेन में थोक मूल्य तथा खुले बाजार में खुदरा बिक्री के लिये निश्चित किये गये अधिकतम मूल्य में क्या अन्तर है ? यह इसलिये महत्वपूर्ण है.....

उपाध्यक्ष महोदय : महत्व बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं उस चर्चा में सब कुछ बतला दूंगा ।

श्री वैलायुधन : क्या सरकार हमारे अन्य देशों के साथ चाय व्यापार के प्रसार के लिये कोई योजना बना रही है क्योंकि अब हम अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार प्रसार बोर्ड से अलग हो गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां हम विचार कर रहे हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यह समझा गया था कि जब इंगलैण्ड से पुनः निर्यात की आज्ञा दे दी जायेगी, तो कीमत बढ़ जायेगी। पुनः निर्यात किये जाने की अनुमति इसी अभिप्राय से दी गई थी। क्या यह सच है कि पुनः निर्यात किये जाने के बाद चाय की कीमतें गिर गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है यह ठीक हो।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या चाय उद्योग द्वारा यह मांग की गई है कि पुनः निर्यात अमेरिका को भी करने दिये जायें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि इस समय संयुक्त राजतंत्र की सरकार से हमारा कोई ऐसा समझौता है कि वह किसी देश को पुनः निर्यात सीमित रखेगा। वह जिसको चाहे उसको पुनः निर्यात कर सकता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त राजतंत्र से चाय के पुनः निर्यात किये जाने से कीमतें नहीं बढ़ी हैं तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि पुनः निर्यात की अनुमति के परिणाम-स्वरूप कलकत्ते के चाय बाजार के निर्यात का क्षेत्र सीमित हो गया है, क्या सरकार.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक के बाद एक सुझाव देते चले जा रहे हैं। सरकार सब बातों पर विचार तो करेगी; परन्तु वैसे यह सुझाव देने का समय नहीं है।

नदी घाटी परियोजनाएं (जांच)

* ९४४. **श्री टी० एन० सिंह** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री उन जांचों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की कृपा करेंगे जो विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के निदेश के अधीन नदी घाटी तथा जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में की जा रही हैं ?

(ख) इनमें से कितनी पूरी होने वाली हैं; कितनी अगले दो वर्षों में हाथ में ली जायेंगी; सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्र के बीच किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था है तथा इन योजनाओं की क्रियान्विति किसके द्वारा होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख)। सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

श्री एस० एन० दास : इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए यह अधिक अच्छा होता कि माननीय मंत्री इसी समय उन परियोजनाओं के नाम बतला देते जिनकी जांच समाप्त हो चुकी है या की जा रही है।

श्री हाथी : जी हां। मैं बतला दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : विवरण रखा जा चुका है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य भिन्न-भिन्न परियोजनाओं के नाम ज्ञात करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह एक लम्बा विवरण है ?

श्री हाथी : लम्बा नहीं है। मैं अभी पढ़ कर सुना सकता हूं।

(क) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है :

(१) बिहार में कोसी परियोजना

(२) बम्बई तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजनाएं (तवा, पुनासा और भड़ौंच)

(३) आसाम में दिहंग तथा मानस परियोजनाएं

(४) मध्य प्रदेश में महानदी तथा जौंक परियोजनाएं

(५) पश्चिमी बंगाल में गंगा बांध परियोजना

(६) उड़ीसा में टिक्करपाड़ा तथा नारज परियोजनाएं ।

(ख) बम्बई में साबरमती परियोजना तथा कुर्ग में हरंगी परियोजना पूरी हो चुकी हैं और परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है । कोसी, नर्मदा (तवा, पुनासा और भड़ौंच) तथा गंगा बांध परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं । जहां तक परियोजनाओं के क्रियान्विति, वित्तीय व्यवस्था तथा योजना के क्रियान्वित सूत्र का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है:—

कोसी परियोजना : इस परियोजना की जांच जून १९५० में समाप्त की गई थी और एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी । एक परामर्शदात्री समिति ने उक्त रिपोर्ट की जांच करके कुछ फेरबदल करने की सिपारिश की । अतः इस योजना के सम्बन्ध में और जांच की गई । यह परियोजना योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने के लिये स्वीकार कर ली गई है । अभी केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार तथा नैपाल सरकार के वित्तीय तथा टैक्निकल उत्तरदायित्व, निर्माण कार्यक्रम और योजना के क्रियान्वित सूत्र के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है ।

गंगा बांध परियोजना : अब तक की गई जांच के फलस्वरूप एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और अब उस पर, पश्चिमी बंगाल सरकार तथा योजना आयोग के साथ परामर्श करते हुए, विचार किया जा रहा है । विभिन्न निर्दिष्ट बातों की जांच योजना आयोग द्वारा परियोजना स्वीकार कर ली जाने के बाद ही की जायेगी ।

साबरमती परियोजना, हरंगी परियोजना तथा नर्मदा परियोजनाएं : विभिन्न बातों पर अग्रेतर कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई हो तथा जब परियोजना, परियोजना रिपोर्टों के आधार पर, टैक्निकल तथा आर्थिक रूप से सम्भव समझी जायें । इस अवस्था पर कोई निश्चित जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह बतलाया गया है कि निर्माण कार्यक्रम तथा क्रियान्विति सूत्र के बारे में केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार तथा नैपाल सरकार का वित्तीय तथा टैक्निकल उत्तरदायित्व अभी तय नहीं किया गया है । क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस जांच पर होने वाले समय के सम्बन्ध में बिहार सरकार के साथ बात तय हो गई है ?

श्री हाथी : जहां तक जांच का प्रश्न है, उसके साथ कुछ बातें तय की गई थीं; परन्तु परियोजना की क्रियान्विति के बारे में अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है ।

श्री टी० एन० सिंह : आखिर में जांच का खर्चा परियोजना के नाम ही डाला जायेगा । अतः हम यह जानना चाहते हैं कि इन खर्चों के सम्बन्ध में जो बातें तय हुई हैं वह अब तक हमें क्यों नहीं बतलाई गई हैं ।

श्री हाथी : जांच के सम्बन्ध में यह तय किया गया था कि शुल्क में ५० प्रति शत व्यय बिहार सरकार उठाये तथा ५० प्रति शत भारत सरकार । हां, इसमें अग्रेतर समायोजन हो सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : "अग्रेतर समायोजन" से क्या मतलब है ?

श्री हाथी : इसका बाद में समायोजन किया जाना था ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि अग्रेतर समायोजन का अभिप्राय यह है कि अन्य सब अतिरिक्त व्यय प्रान्तीय सरकार द्वारा उठाया जायेगा ?

श्री हाथी : वित्त मंत्रालय ने बाद में यह स्पष्ट किया था कि शेष ५० प्रतिशत बिहार सरकार के नाम डाला जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : कोसी परियोजना के निमित्त अब तक कितना व्यय हुआ है ?

श्री हाथी : अगस्त १९५२ तक जांच पर ७६,८५,७६९ रुपये व्यय हुए ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सारा व्यय केन्द्रीय सरकार ने उठाया है या इसका कुछ अंश राज्य सरकार द्वारा किया गया है ?

श्री हाथी : प्रारम्भिक खर्चा केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया गया है ।

श्री थानू पिल्ले : क्या इस जांच में मद्रास राज्य की कोई नदी घाटी परियोजनाएं भी शामिल हैं ?

श्री हाथी : नहीं, श्रीमान् ।

श्री सी० भट्ट : उपमंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्त र से हमें पता चलता है कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह न कहें कि आप को पता चला है । प्रश्न क्या है ?

श्री सी० भट्ट : मेरा सौभाग्य है कि श्रीमान् का ध्यान मेरी ओर गया तो; मैं यह जानना चाहता हूं कि नर्मदा परियोजनाएं पूरी की जाने के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल की जायेंगी या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने अभी बतलाया नर्मदा परियोजनाओं सम्बन्धी जांच पूरी होने वाली है । यह पंचवर्षीय योजना में शामिल की जायेगी या नहीं, इस सम्बन्ध में अभी कुछ तय नहीं हुआ है ।

श्री थानू पिल्ले : क्या मद्रास राज्य में भी कोई ऐसी नदियां हैं जहां ऐसी परियोजनाएं बनाई जा सकें ?

श्री हाथी : नदियां नक्शे में देखी जा सकती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : न तो इस प्रश्न की और न ही इसके उत्तर की आवश्यकता थी । माननीय मंत्री को इस ढंग से उत्तर नहीं देना चाहिये ।

श्री हाथी : मुझे खेद है, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोसी परियोजना पंच वर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है, पूछ सकता हूं कि परियोजना के अनुमानित आंकड़े तैयार करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या नहीं ?

श्री हाथी : कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या दक्षिण भारत में भी किसी परियोजना के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ?

श्री हाथी : मैं परियोजनाओं की सूची दे चुका हूं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : कृष्णा नदी घाटी विकास परियोजना के सम्बन्ध में जांच क्यों नहीं शुरू की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट ही नहीं प्रकाशित हुई है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि इन विभिन्न परियोजनाओं की जांच पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं

कोई पच्चीस लाख रुपये मध्य प्रदेश की परियोजनाओं पर, कोई ६४ लाख रुपये कोसी परियोजना आदि पर, और क्या यह भी सच है कि इस व्यय के बटवारे के सम्बन्ध में सरकार अभी कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है और कुछ राज्य इस विषय में किसी प्रकार के व्यय का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते ?

श्री हाथी : इस प्रश्न के उत्तर के लिये कि कुल खर्चा कितना हुआ है, मैं पूर्वसूचना चाहता हूं । दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं कागज़ों को देख कर ही दे सकता हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, श्रीमान् । हम देखते हैं कि सिंचाई तथा योजना सम्बन्धी प्रश्न प्रायः पूछे जाते रहे हैं और गत कितने ही दिनों से सम्बन्धित माननीय मंत्री सदन में कभी भी उपस्थित नहीं रहे हैं । अतः हमारे लिये ठीक-ठीक तथा पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है । क्या हम आपसे यह निवेदन कर सकते हैं कि आप मंत्री महोदय को निदेश दें कि उन्हें सदन में आने के लिये समय निकालना ही चाहिये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं, श्रीमान् .....

श्री टी० एन० सिंह : क्या आप सिंचाई विभाग के मंत्री हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को सदन में बोलने का हक़ है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह बतला दूं कि मेरे सहयोगी इस समय योजना को अन्तिम रूप देने में व्यस्त हैं । इस समय वह यहां नहीं आ सकते थे । अतः यदि कोई माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उनकी किसी प्रकार अवहेलना की गई है तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं । हां, हम यह ज़रूर समझते हैं कि माननीय उपमंत्री को प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण हक़ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : म समझता हूं कि ऐसे प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं । कितनी ही योजनाएं हाथ में ली गई हैं । प्रत्यक योजना पर, शूरू की अवस्था में भी, करोड़ों रुपये खर्च आते हैं और जब वे कार्यान्वित की जायेंगी तब तो करोड़ों रुपये खर्च होंगे । य प्रश्न एक घंटा नहीं कितने ही घंटे ले सकते हैं । इन परिस्थितियों में अच्छा यह होगा कि उन्हें अलग-अलग बांट दिया जाये । प्रत्येक परियोजना पर पूर्ण रूप से विचार किया जाये । मैं समझता हूं कि योजना समिति की रिपोर्ट ८ तारीख को पेश की जायेगी । इस पर बहस के लिये तीन दिन दिये जायेंगे । अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया रिपोर्ट को घर पर पढ़ कर आयें। अतः इस सम्बन्ध में और प्रश्न मैं उस दिन तक के लिये उठा रखता हूं । योजना समिति की रिपोर्ट पर बहस के दौरान में माननीय मंत्री निश्चय ही यहां रहेंगे, परन्तु मैं यह नहीं समझता कि माननीय उपमंत्री को उतनीं बातें नहीं पता हैं जितनी कि माननीय मंत्री को ।

श्री टी० एन० सिंह : मुझे कार्यविधि सम्बन्धी एक बात कहनी है, श्रीमान्। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि सदन-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । प्रश्न एक प्रकार की परियोजनाओं तथा जांच के सम्बन्ध में था, अतः मैं ने सोचा था कि विवरण में सब बातें होंगी । परन्तु यह तो एक छोटा सा विवरण है और उस पर भी यदि कुछ माननीय सदस्य आग्रह न करते तो इसे प्रश्न के उत्तर में पढ़ कर भी नहीं सुनाया जाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने एक लम्बा विवरण पढ़ कर सुनाया है ।

यदि यह सब जानकारी उपलब्ध होती तो वह उसे भी विवरण में सम्मिलित कर सकते थे ।

श्री हाथी : मैंने वही तो पढ़ा था, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब सदस्यों के पास है ? आखिर, कठिनाई क्या है ?

श्री टी० एन० सिंह : मैं ने सोचा था कि जानकारी पटल पर रख दी जायेगी और उसमें विभिन्न परियोजनाओं के बारे में पूर्ण विवरण होगा । ऐसा न कर के उसमें केवल संक्षेप में यह बतला दिया गया कि वहां क्या हो रहा है । पटल पर तो यह इस लिये रखा गया कि हमारे अन्य सहयोगी यह न समझ सकें कि उत्तर क्या दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन प्रश्नों के लम्बे उत्तर होते हैं उन के उत्तर सदन में पढ़ कर नहीं दिये जाते क्योंकि ऐसा करने का अर्थ तो यह होगा कि एक ही प्रश्न सब समय ले लेगा । हां, इस बात का ध्यान अवश्य रखा जायेगा कि उत्तर में वे सब बातें बतलाई जायें जिन की कि प्रश्न में आशा की जाये और माननीय सदस्यों को समस्त प्राप्य कागज़ात उपलब्ध हों ।

श्री बी० दास : श्रीमान्, मैं श्री टी० एन० सिंह द्वारा उठाये गये "औचित्य प्रश्न" के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । प्रत्येक ऐसे मंत्री से, जो इस सदन का सदस्य है, यह आशा की जाती है कि वह "प्रश्न के घंटे" में सदन में उपस्थित रहेगा । यदि आप इस सदन की "कार्यवाही" पर ग़ौर करें तो आप देखेंगे कि योजना तथा सिंचाई मंत्री यहां कभी भी उपस्थित नहीं रहते । यह सदन का और इस के सदस्यों का अपमान है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस "औचित्य प्रश्न" में कोई औचित्य नहीं देखता । यहां माननीय मंत्री के स्थान पर उन के उपमंत्री मौजूद हैं । यह आपत्ति तो तब उठाई जा सकती थी जब कि इस मामले से सम्बन्धित कोई अन्य मंत्री भी मौजूद न होता । उपमंत्रियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने बड़े मन्त्रियों की सहायता करें । सदन की दृष्टि में बड़े मंत्री और उपमन्त्री के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिये । यदि उपमन्त्री यह कहें कि वह अमुक बात बड़े मंत्री से पूछ कर बतलायेंगे तब तो यह प्रश्न उठ सकता है । परन्तु उपमंत्री को पूरा भरोसा है कि वे सब प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं । अब हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिये । इसमें कोई "औचित्य प्रश्न" नहीं है ।

मशीन औज़ार बनाने वाला कारखाना

*१४५. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या उत्पादन मंत्री बंगलौर के निकट जलाहली में मशीन औजार बनाने वाले कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में मेरे दिनांक ९ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बाकी के तीन हैंगर आ गये हैं और खड़े कर दिये गये हैं ?

(ख) क्या सरकार ने देश की खरादों और मशीन औज़ारों की आवश्यकता का पता लगाया है तथा यदि लगाया है, तो वह कितनी हैं ?

(ग) इस में से कितनी आवश्यकता असरकारी कारखानों द्वारा पूरी की गई है ?

(घ) क्या मशीन औज़ार बनाने वाले इन असरकारी कारखानों पर अगस्त, १९५३ में सरकारी कारखाने द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने का प्रभाव पड़ेगा ?

(ङ) यदि हां, तो सरकार इन असरकारी कारखानों को किस प्रकार रक्षण देने का विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) बाकी के तीन हैंगरों का ढांचा खड़ा करने का कार्य तो पूरा हो चुका है, किन्तु अभी फ़र्श बनाने, बिजली लगाने तथा पार्टीशन करने का काम किया जाना है ।

(ख) देश को प्रति वर्ष कोई ५ करोड़ रुपये के मशीन औज़ारों की आवश्यकता पड़ती है । अलग-अलग प्रकार के मशीन औज़ारों की अलग-अलग मांग बतलाना सम्भव नहीं है । हां, हर साइज़ के खरादों की आवश्यकता की अनुमानित संख्या कोई १२०० प्रति वर्ष है ।

(ग) असरकारी कारखाने केवल सादे तथा प्रारम्भिक (या सामान्य प्रयोजनों के लिये) प्रकार के मशीन औज़ारों की लगभग सारी आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में रहे हैं । बड़े साइज़ों के मशीन औज़ारों का निर्माण कोई विशेष नहीं है । उदाहरण के लिये, ७" या इस से कम साइज़ के खरादों का उत्पादन देश की आवश्यकता कोपूरी करने लायक रहा है; परन्तु ८ १/२" साइज़ के खरादों का निर्माण अभी ही आरम्भ हुआ है ।

(घ) सरकार का अभिप्राय यह है कि सरकारी कारखाना मशीन औज़ारों का निर्माण असरकारी कारखानों द्वारा तैयार किये जाने वाले कल पुर्ज़ों के अतिरिक्त करेगा; वह असरकारी उद्योग से प्रतियोगिता नहीं करेगा ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : कारखानों में मशीन औज़ारों का सम्पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने के लिये जिन अन्य संयंत्रों तथा मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या उनका, जैसा कि माननीय मंत्री ने गत बार बतलाया था, आयात कर लिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझ सका श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : गत बार माननीय मंत्री ने बतलाया था कि और संयंत्र तथा मशीनें आ रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे अब आ गई हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : कोई एक करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं और मशीनें आनी शुरू हो गई हैं । उन में से कुछ तो आ गई हैं और कुछ मार्ग में हैं और उन के यथाशीघ्र यहां आ पहुंचने की आशा की जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा था .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मंत्री जी ने क्या कहा था । वह केवल यह कह कर सन्तोष कर सकते हैं : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से उत्पन्न ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या गैर-सरकारी मशीन औज़ार निर्माताओं के संघों ने, विशेष कर भारतीय मशीन औज़ार निर्माता संघ ने, इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन किया है कि उन लोगों को उन वस्तुओं के बनाने से वंचित किया जा रहा है जो कि वे इस समय बना रहे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : गैर-सरकारी उद्योग की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था तथा सरकार की राय यह

है कि इस समय उसके पास जिन औज़ारों को बनाने का कार्यक्रम है वह गैर-सरकारी उद्योग से प्रतियोगिता नहीं करेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कारखानों में उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व मशीन औज़ार निर्माता संघ से बातचीत कर ली गई है या की जा रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : उन से पहले ही दो बार बातचीत की जा चुकी है—एक बार १९५० में तथा दूसरी बार इस वर्ष फरवरी में । उन्हें इ स बात का आश्वासन दे दिया गया है कि इस उद्योग के प्रसार की प्रत्येक महत्व-पूर्ण अवस्था पर उन से विचार-विमर्श किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने वहां का जो हाल ही में दौरा किया था उसके दौरान में महाप्रबन्धक ने प्रशिक्षण स्कूल खोलने या चलाने का विचार रखा था । क्या अब स्कूल बनाये जा रहे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक प्रशिक्षण स्कूलों का सम्बन्ध है, हम अब भी सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब इस प्रश्न पर बहस खत्म करने का वक्त आ गया है ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर ही पन्द्रह मिनट लग गये हैं, क्या श्रीमान् के लिये प्रश्न काल को पन्द्रह मिनट और बढ़ाना सम्भव हो सकेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिन बातों पर चर्चा हुई है वे बिल्कुल संगत हैं और इसलिये वे प्रश्न काल की कार्यवाही का ही भाग हैं ।

श्री वी० पी० नायर : आज हम केवल आठ प्रश्नों को ही निपटा सके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि जो कुछ वह कहते हैं वह तो संगत होता है और जो कुछ अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है वह सब असंगत है ?

प्रश्न का घंटा समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दामोदर घाटी तथा भाकरा-नंगल परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन

*९४६. **श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंक समिति ने अपनी वर्ष १९५१-५२ की रिपोर्ट में कंडिका ८३ के अन्तर्गत यह उल्लेख किया है कि जहां तक दामोदर घाटी निगम तथा भाकरा-नंगल परियोजना का सम्बन्ध है, विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है और सिंचाई को बाद का स्थान दिया गया है ;

(ख) सिंचाई को प्राथमिकता न दे कर विद्युत उत्पादन को अग्र स्थान देने के लिये कौन उत्तरदायी है ;

(ग) इस परियोजना से कितनी विद्युत उपलब्ध हो चुकी है और उसका कहां और कैसे उपयोग किया गया है ; तथा

(घ) क्या विशेष रूप से लाभ दिल्ली तथा उसके आस पास की नगरियों को पहुंचा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

सम्भवतः माननीय सदस्य आंक समिति की रिपोर्ट की कंडिका ८२ की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

(ख) से (घ) । सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१**] ।

दामोदर घाटी परियोजना का अन्तिम कार्यक्रम

*९४७. **श्री कृष्ण चन्द्र :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान आंक समिति द्वारा अपनी पांचवीं रिपोर्ट में कंडिका ५४ में कही गई इस बात की ओर गया है कि सरकार या दामोदर घाटी निगम द्वारा अन्तिम कार्यक्रम तैयार करने और पुनरीक्षित कार्यक्रम तथा चालू आर्थिक हालतों के अनुसार व्यय के पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ?

(ख) क्या अब कोई अन्तिम प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री : (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन अगस्त १९५२ में तैयार किये गये थे ।

(ग) पुनरीक्षित प्राक्कलन की एक प्रति सदन-पटल पर रखी जाती है । [**प्रतियां पुस्तकालय में रखी गईं । देखिए संख्या ४, एम० ४ (९क)**] ।

दामोदर घाटी निगम के कार्य की जांच करने के लिये समिति

*९४८ **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा किये गये काम की जांच करने के लिये बनाई गई समिति में कौन-कौन सदस्य थे; तथा

(ख) रिपोर्ट के निर्देश पर और उसके भेजे जाने के लिये अनुमानित समयावधि क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत **उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख) संकल्प संख्या डी० डब्लू० १०, दिनांक २० सितम्बर, १९५२ की एक प्रतिलिपि, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन-पटल पर रखी जाती है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनबन्ध संख्या ४२**]

प्याज का निर्यात करने वाले के विरुद्ध रिपोर्ट

*१४९. **श्री नम्बियार :** क्या **वाणिज्य तथा** उद्योग मंत्री दह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् १९५१ में डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स द्वारा टूटीकोरिन (मद्रास राज्य) के एक प्याज का निर्यात करने वाले व्यक्ति, श्री सी० रामचन्द्रन पिल्ले के विरुद्ध यह रिपोर्ट की गई थी कि श्री पिल्ले का नाम "ब्लैक लिस्ट" में लिखा जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने निर्यात व्यापार नियन्त्रण विनियमों का उल्लंघन किया है तथा यदि ऐसी कोई रिपोर्ट की गई थी तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; तथा

(ख) क्या यह सच है कि उक्त श्री सी० रामचन्द्रन पिल्ले को सन् १९५२ में फिर प्याज के निर्यात का लाइसेंस मिल गया ?

वाणिज्य **मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख) श्री सी० रामचन्द्रन पिल्ले के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है । हां, यह ख्याल किया जाता है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवतः श्री जी० रामचन्द्रन पिल्ले से है । यदि ऐसा है, तो उनकी निर्यात सम्बन्धी गतिविधियों के विरुद्ध कुछ समय पहले एक रिपोर्ट मिली थी और उनको भविष्य में लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित करने के आदेश निर्गमित किये जा चुके हैं । हां, इस वर्ष के आरम्भ में, जब कि उनके

विरुद्ध आरोपों की जांच की जा रही थी, प्याज का निर्यात करने के दो लाइसेंस दे दिय गये थे ।

मछली पकड़ने के जालों का निर्यात

*१५० **कुमारी एनी मस्करीन**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य से लंका को मछली पकड़ने के जालों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किन दशाओं में; तथा

(ग) क्या जालों के निर्यात के लिये परमिट दिये जाते हैं तथा यदि दिये जाते हैं तो त्रावनकोर वालों को या राज्य से बाहर वालों को ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) लंका को मछली पकड़ने के जालों का निर्यात अनमत है । वर्ष के अन्त तक भेजे जाने के लिये निर्धारित की गई मात्रा दो लाख पौंड सूत के बराबर थी । मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन राज्यों में धनुषकोडि, टूटीकोरिन, एलेप्पी, क्विलौन और कोचीन के बन्दरगाहों से माल भेजने के लाइसेंस "पहले आया पहले दिया" सिद्धान्त के अनुसार दिये जाते हैं । अन्य बन्दरगाहों से निर्यात करने की अनुमति नहीं है । अन्य कोई पाबन्दियां नहीं लगाई गई हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों के शिविर

*१५१. **श्री बाल्मीकि** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्ष में देश में विस्थापित व्यक्तियों के कितने शिविर चलाये जा रहे हैं और किन-किन स्थानों पर ;

(ख) उन पर कितना व्यय हो रहा है ; तथा

(ग) अब तक इन के चलते रहने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ५९ सहायता शिविर । सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में यह बतलाया गया है कि ये शिविर कहां-कहां स्थित हैं । [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इन शिविरों पर तथा पूर्वी महाखंड में कुछ स्थायी 'दायित्व शिविरों' (लायबिलिटी कैम्प्स) पर ३० सितम्बर, १९५२ तक लगभग ९१ लाख रुपये व्यय हुए हैं ।

(ग) कारण मुख्य रूप से ये हैं :—

(१) इन शिविरों में जो व्यक्ति विस्थापितों के पूर्वी पाकिस्तान से फिर से भारी संख्या में आने से पहले दाखिल किये गये थे उन को अभी तक बसाया नहीं जा सका है ; तथा

(२) हाल ही में पारपत्र व्यवस्था के चालू किये जाने के फलस्वरूप विस्थापितों के भारी संख्या में भारत आने के कारण बहुत से व्यक्ति दाखिल किये गये हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

*९५२. **श्री बाल्मीकि** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९५२ के प्रथम सप्ताह तक भारत में पूर्वी पाकिस्तान से कितने विस्थापित व्यक्ति आये हैं ;

(ख) उन के पुनर्वास के लिये क्या पग उठाये गये हैं और उन्हें किन-किन स्थानों पर बसाया गया है; तथा

(ग) सरकार को इन विस्थापित व्यक्तियों पर कितना व्यय करना पड़ा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) लगभग ३१ लाख ।

(ख) गृह-निर्माण, कृषि, कारबार, व्यापार तथा वृत्तियों के लिये विभिन्न प्रकार के पुनर्वास ऋण दिये गये हैं । बने हुए मकान, मकान की ज़मीन तथा कृषि भूमि भी दी गई है । विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी बंगाल, आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अण्डमान में सब जगह बसाया गया है ।

(ग) ३१ मार्च, १९५२ तक ३५६४·२२ लाख रुपये ।

अन्तरर्ष्ट्रीय चाय बाज़ार प्रसारबोर्ड

*९५३. **श्री ए० सी० गहा** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार प्रसार बोर्ड यू० के० के कम्पनीज़ ऐक्ट के अन्तर्गत निगमित एक लिमिटेड कम्पनी है ?

(ख) यदि हां, तो उसके अंशधारी कौन कौन हैं ?

(ग) इस के अंशों का वितरण किस प्रकार हुआ है ?

(घ) इसका प्रबन्ध किस प्रकार हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार प्रसार बोर्ड यू० के० कम्पनीज़ ऐक्ट के अन्तर्गत निर्गमित लिमिटेड कम्पनी है परन्तु इसकी पूंजी अंशों में वितरित नहीं है ।

(ख) तथा (ग) । प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) बोर्ड का प्रबन्ध कार्यपालन उप-सभापति द्वारा, जो बोर्ड का वैतनिक कर्मचारी होता है, बोर्ड के निर्वाचित अध्यक्ष की देखरेख में किया जाता है । बोर्ड समस्त सदस्य देशों के केन्द्रीय चाय बोर्डों के निदेशों के अधीन कार्य करता है; ये केन्द्रीय चाय बोर्ड ही उस के संचालक निकाय (गवर्निंग बाडीज़) होते हैं ।

छोटे पैमान के उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुएं

*९५४. **श्री बालकृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी भारतीय वस्तुएं, जो छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा तैयार की जाती हैं, विदेशों को भेजी जाती हैं ;

(ख) क्या भारत में छोटे पमाने के उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं का स्तर वैसा ही होता है जैसा कि ऐसी ही विदेशी वस्तुओं का ;

(ग) क्या सरकार ने भारत में तैयार की जाने वाली वस्तुओं का स्तर निर्धारित करने के लिये कोई पग उठाये हैं; तथा

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि सामान्यतया भारत में छोट पैमाने के उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं की किस्म ज्यादा अच्छी नहीं होती, परन्तु कुछ सामान, जैसे खेल-कूद का सामान तथा कालीन आदि, विदेशों के ऐसे ही सामान से अच्छा मुकाबला कर सकता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत सरकार ने भारतीय मान संस्था (चिन्ह प्रभाणीकरण) अधिनियम, १९५२ का ३६वां, पारित किया है जिस के द्वारा भारतीय मान संस्था को तैयार की जाने वाली वस्तुओं के मान नमूने बनाने का अधिकार दिया गया है । संस्था ने कोई २० से ऊपर विभागीय समितियां (सैक्शनल

कमेटियां) स्थापित की हैं जो इस समय गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं के लिये मान निर्धारित करने में व्यस्त हैं। ऐसी वस्तुओं के लिये २४ भारतीय मान तो प्रकाशित किये जा चुके हैं और सौ से अधिक अन्य मान विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदश में सामूहिक योजनाएं

*९५५. **श्री कृष्ण चन्द्र** : (क) क्या योजना मंत्री उत्तर प्रदेश की सामूहिक योजनाओं की संख्या तथा उनका पूरा ब्यौरा देने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन में से प्रत्येक योजना पर कितना रुपया व्यय किये जान की प्रस्थापना है ?

(ग) क्या इन योजनाओं के कोई अनुमानित आंकड़े तैयार किये गये हैं तथा यदि किये गये हैं, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री : (श्री हाथी) : (क) अपेक्षित जानकारी सामूहिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी संचालनात्मक करार संख्या ८ की कंडिका २ में दी गई है, जिसकी प्रतियां दिनांक ४ जून, १९५२ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ४६१ के उत्तर में सदन पटल पर रखी गई थीं।

(ख) अपेक्षित जानकारी "सामूहिक योजना—प्रारूप रूपरेखा" नामक पुस्तिका के पृष्ठा ३२ से ३४ पर मिलेगी, जिसकी प्रतियां सदन के सदस्यों को परिचारित की जा चुकी हैं।

(ग) इन योजनाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से जो बजट सुझाव प्राप्त हुए हैं वे अपूर्ण हैं तथा इस विषय पर उस सरकार के साथ लिखापढ़ी की जा रही है।

साम्राज्य - अधिमान

*९५६. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से यह कहा है कि वह संयुक्त राजतन्त्र से किये जाने वाले आयात के साथ साम्राज्य-अधिमान का बर्ताव करना छोड़ दे;

(ख) यदि कहा है, तो भारत सरकार द्वारा इस विषय में क्या रुख़ अपनाया गया है; तथा

(ग) तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के लिये जो बातचीत हुई थी क्या उसमें साम्राज्य-अधिमान के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी ?

वाणिज्य मंत्री : (श्री करमरकर :): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के उद्देश्यों में एक यह भी है "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तटकर तथा अन्य व्यापारिक रुकावटों को सारवान रूप से कम किया जाये तथा विभेदात्मक वर्ताव को समाप्त किया जाये।" निर्दिष्ट करार सम्बन्धी बातचीत के दौरान में आंग्ल-भारतीय व्यापार करार, १९३९ के अन्तर्गत संयुक्त राजतन्त्र तथा उस के उपनिवेशों को प्राप्त तटकर सम्बन्धी अधिमान के बारे में कुछ सामान्य प्रकार की चर्चा हुई थी।

तेल परिष्करणी

*९५७. **श्री नाना दास** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक तेल परिष्करणी स्थापित करने के लिये "काल्टेक्स लिमिटेड" के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि पूरी हो चुकी है, तो समझौते की क्याक्या शर्तें हैं ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो समझौता होने में मुख्य रुकावट क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं, बातचीत जल्दी ही शुरू होने वाली है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोई रुकावट नहीं है । आशा है कि बातचीत अगले वर्ष के आरम्भ में पूरी हो जायेगी ।

दिल्ली राज्य के बिजली बोर्ड के कर्मचारियो के लिये क्वार्टर

*९५८. **श्री राधा रमण** : (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य के बिजली बोर्ड के १९५२-५३ के आयव्ययक प्राक्कलनों में १०,००,००० रुपये भूमि खरीदने तथा "डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच" के कर्मचारी वर्ग के लिये क्वार्टर बनाने के लिये रखे गये हैं तथा यह कि भूमि खरीदने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है ?

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसका उत्तरदायित्व किस के ऊपर है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड में मकान बनाने के लिये भारत सरकार से ५५ लाख रुपये का ऋण मांगा है । मामला विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई तथा विद्युत योजनाएं

*९५९. **श्री तेलकीकर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं के सम्बन्ध में अन्य देशों के साथ कोई संधियां या करार हुए हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाएं विचाराधीन हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय तथा विद्युत योजनाओं के सम्बन्ध में भारत तथा अन्य देशों के बीच कोई सन्धियां नहीं हैं । हां, भारत तथा पाकिस्तान के बीच ४ मई, १९४८ को एक अन्तर्डोमिनियन करार हुआ है जो भारत की नदियों से पाकिस्तान की कुछ नहरों को फ़िलहाल पानी दिये जाने के सम्बन्ध में है । पंजाब (भारत) तथा पंजाब (पाकिस्तान) के बीच, मंडी जलविद्युत योजना के अधीन पंजाब (पाकिस्तान) को बिजली दी जाने के सम्बन्ध में, एक अस्थायी समझौता भी है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सस्ते रेडियो

*९६०. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या **सूचना तथा प्रसरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन साधारण को सस्ते रेडियो उपलब्ध करने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है तथा सस्ते रेडियो के कब तक उपलब्ध होने की आशा है, तथा

(ग) क्या सरकार ने छोटे-छोटे शहरों में अनुज्ञप्ति शुल्क के बदले में "वायर्ड ब्रौडकास्टिंग स्कीम" चालू करने की सम्भावना का पता लगाया है, और क्या यह योजना किसी राज्य में चालू कर दी गई है ? यदि चालू कर दी गई है तो किस-किस में ?

सूचना तथा प्रसरण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). सस्ते रेडियो उप-

लब्ध करने के लिये सरकार के पास कोई अलग योजना नहीं है; हां, आल इंडिया रेडियो ने रेडियो निर्माताओं के रेडियो के परीक्षणे की सुविधाएं उपलब्ध की हैं और उन्हें टैक्निकल सहायता दी है ताकि सस्ते रेडियो के निर्माण को प्रोत्साहन मिले ।

(ग) "वायर्ड ब्रौडकास्टिंग" के प्रश्न की कुछ समय पूर्व जांच की गई थी, परन्तु उसे व्यवहार्य नहीं समझा गया ।

खड्डियों द्वारा तैयार किये जाने के लिये रक्षित कपड़ा

*९६१. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** मिल और खड्डी के कपड़े के सम्बन्ध में दिनांक १६ जुलाई, १९५२ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १७८४ के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर की ओर निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से कपड़े हैं जिनका बनाया जाना केवल खड्डियों के लिये ही रक्षित कर दिया गया है ?

(ख) ऐसे अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) खड्डी उद्योग के लिये रक्षित कपड़ों की एक सूची सदन-[पटल पर रखी जाती है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या ४४]**

(ख) यह बात दिनांक २५ नवम्बर, १९५२ की प्रेस विज्ञप्ति में बतलाई गई है, जिस की एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखी जाती है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]**

हीराकुड तथा बर्ला स्कूलों में उड़िया अध्यापक

*९६२. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि हीराकुड तथा बर्ला हाई स्कूलों में उड़िया अध्यापक काफी संख्या में न होने के कारण, वहां के उड़िया पदाधिकारियों और समुचित शिक्षा दिलवाने में बहुत कठिनाई होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि हाई स्कूलों की सब कक्षाओं के विद्यार्थियों को उड़िया माध्यम में शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है ; तथा

(ग) ये स्कूल किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)) : (क) जी नहीं ।

(ख) हाई स्कूल की सब कक्षाओं के विद्यार्थियों को उड़िया माध्यम में शिक्षा देने की व्यवस्था है ।

(ग) उत्कल विश्वविद्यालय के साथ ।

हीराकुड तथा बर्ला में इमारतें

*९६३. **श्री सारगधर दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष वर्षा ऋतु मे हीराकुड तथा बर्ला में कितने प्रति शत इमारतों में पानी टपकता पाया गया तथा ऐसी इमारतों पर कुल कितना व्यय आया था;

(ख) सम्बन्धित ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; तथा

(ग) सरकार ने भविष्य में अधिक अच्छी इमारतें बनवाने के लिये क्या पग उठाये ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क)—

हीराकुड

१ १/२ प्रति शत ६८,००० रुपये

बर्ला

८ प्रति शत ८,४१,००० रुपये

(ख) जिन इमारतों में पानी टपकने का कारण ठेकेदारों की असावधानी थी,

उन में ठेकेदारों के खर्चे पर मरम्मत की जा रही है ।

(ग) हाल ही में बनाई गई अधिक महत्व-पूर्ण इमारतों में छतों पर मट्टी के स्थान पर गिट्टी तथा कंकरीट डाली जाती है । किसी और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी जाती है ।

अमरावती सामूहिक योजना केन्द्र

***९६४. श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या योजना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के अमरावती केन्द्र में, सामूहिक योजना क्षेत्र में, कितने सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं ?

(ख) उक्त अधिकारियों के पद क्या हैं तथा वे कितने-कितने हैं ?

(ग) इस केन्द्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) ५० ।

(ख) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) योजना क्षेत्र का परिमाप पूरा हो चुका है । आय-व्ययक प्राक्कलन भी तैयार कर लिये गये हैं तथा भारत सरकार को भेज दिये गये हैं । इस के अतिरिक्त कुछ और काम भी किया गया है, जैसे, रासायनिक खाद का वितरण, पशुओं को "रिंडरपैस्ट" नामक बीमारी के टीके लगाये जाना, पानी सोखने वाले गड्ढों (सोकेज पिट्ट) का निर्माण, कुओ तथा आवागमन के साधनों का सुधार और मुख्य ग्राम केन्द्रों (की विलेज सैन्टर्स) का खोला जाना ।

चाय के मूल्य

***९६५. श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के थोक तथा खुदरा बाजारों में चाय के मूल्य क्या हैं ?

(ख) ये मूल्य कीमतों की वर्तमान कमी के पहले प्रचलित मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

(ग) क्या चाय व्यापारियों की लाभ की मात्रा में कोई वृद्धि हुई है ?

(घ) क्या चाय लागत-मूल्य से कम दर पर बिक रही है ?

(ङ) क्या सरकार उक्त खुदरा मूल्य को ध्यान में रखते हुए चाय का अधिक थोक-मूल्य निश्चित करने का विचार कर रही है, ताकि चाय-उत्पादकों को राहत मिल सके ?

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अन्य कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : इस समय चाय के प्रति पौंड थोक तथा खुदरा मूल्य इस भांति हैं :

	थोक	खुदरा
	रु. आ. पा.	रु. आ. पा.
दार्जिलिंग	१–२–०	२–०–० से २–१२–०
आसाम	०–१०–०	१– ८–० से २– ०–०
द्वार्स	०–१२–११	१– ४–० से १–१०–०

(ख) जनवरी १९५२ के तत्संवादी आंकड़े इस भांति हैं :—

	थोक	खुदरा
	रु. आ. पा.	रु. आ. पा.
दार्जिलिंग	१– २–३	२– ८–० से ३–४–०
आसाम	१– ३–०	२– ४–० से २– ८–०

द्वार्स	१– १–३	१–१२–० से २–०–०

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है। निम्न श्रेणियों की पैकिट की चायों के खदरा मूल्यों में कुछ कमी की गई है। हां, इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(घ) चाय उद्योग के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त "आफिशियल टीम" की रिपोर्ट के अनुसार "प्राक्शन" मूल्य का स्तर उतना नहीं है जिस से कि बहुत से औसत-मध्यम तथा छोटे उद्यानों की उत्पादन-लागत निकल सके।

(ङ) तथा (च)। जी नहीं। हां, भारत सरकार चायउत्पादकों को समस्त सम्भव सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

मशीन औजार बनाने के कारखाने

*९६७ **श्री तिम्मया** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में खुलने वाले मशीन औजार बनाने के कारखाने के लिये कोई प्रबन्ध समिति या बोर्ड है; तथा

(ख) यदि है, तो समिति या बोर्ड के क्या कृत्य हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

मध्य प्रदेश में कोयला

*९६८. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या उत्पादन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के कितने भागों में ऐसी कोयला खानों का पता लगा है, जहां से कोयला आसानी से निकाला जा सकता है ?

उत्पादन मन्त्री (के० सी० रेड्डी) : बिलासपुर जिले तथा पुराने कोरिया राज्य, जो अब मध्य प्रदेश में मिला दिया गया है, के कोर्बा कोयला-क्षेत्रों में मोटी तथा ऐसी तह पाई जाती है जहां से कोयला काफी आसानी से निकाला जा सकता है।

बिमली पटसन (निर्यात)

*९६९ **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि बिमली पटसन अन्य देशों को भेजा जा सकता है या नहीं, क्योंकि कलकत्ते के पटसन मिल वाले इस किस्म का पटसन नहीं खरीद रहे हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि भारत से पटसन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के पहले, विदेशों में इसका बाजार बहुत विस्तृत था ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को श्रीकाकुलम और विशाखापटनम के पटसन-उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं ?

(घ) क्या बिमली पटसन को बेचने के बारे में मद्रास सरकार ने केन्द्र को कोई सुझाव दिये हैं, तथा यदि दिये हैं तो क्या ?

(ङ) क्या यह सच है कि पटसन के पूर्वी बंगाल से बड़ी मात्रा में चोरी-छिपे ले जाये जान के फलस्वरूप भारत के पटसन-उत्पादकों को बहुत हानि पहुंच रही है ?

(च) क्या भारत में, विशेष रूप से उपरोक्त दो जिलों में, उगाये जाने वाले पटसन की किस्म में सुधार करने के लिये कोई प्रस्थापना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार विगत साल में मिलों द्वारा बिमली पटसन की पर्याप्त मात्रा खरीदी गई थी और चालू वर्ष की फसल की खरीद भी शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगी।

(ख) जी हां । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उस का बाजार विस्तृत था।

(ग), (घ) तथा (च)। माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक ३ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये श्री राजगोपाल राव के तारांकित प्रश्न संख्या ९०६ के भाग (क), (ख) तथा (ग) के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ङ) इस बारे में सरकार को कोई विशेष जानकारी नहीं है ।

पटसन मिलों को दामोदर घाटी से बिजली

*९७०. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के आस-पास की पटसन मिलों को दामोदर घाटी के बिजली घरों से बिजली दी जाने की सम्भावना पर विचार किया है ;

(ख) यदि किया है, तो बिजली की कब से दी जाने की सम्भावना है ; तथा

(ग) पंचवर्षीय योजना की अवधि में अधिक से अधिक कितनी बिजली दी जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री : (**श्री हाथी**) : (क) जी हां ।

मामला पश्चिमी बंगाल सरकार तथा दामोदर घाटी निगम के विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग)। जानकारी दामोदर घाटी निगम से मांगी गई है तथा मिलते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल परिष्करणियां स्थापित करने के लिये स्थान

३४६. **श्री नाना दास :** (क) क्या **उत्पादन** मन्त्री सदन-पटल पर उन करारों की एक प्रतिलिपि रखने की कृपा करेंगे जो भारत में तेल परिष्करणी स्थापित करने के लिये बर्मा शैल कम्पनी और स्टैण्डर्ड वैकुअम आइल कम्पनी के साथ किये गये ?

(ख) क्या इन सार्थों के साथ 'सिन्थैटिक पैट्रोल के बनाये जाने के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार ने "सिन्थैटिक" पट्रोल के निर्माणें की योजना छोड़ कर स्वदेशी सार्थों के तेल परिष्करणी स्थापित करने के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया है ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी) :

(क) उल्लिखित तेल कम्पनियों और भारत सरकार के बीच, पत्र व्यवहार द्वारा, कुछ मदों में समझौता हो गया है । तीसरी परिष्करणी की स्थापना के लिये एक तीसरी तेल कम्पनी, काल्टैक्स लिमिटेड, के साथ बातचीत चल रही है । अतएव, इस अवस्था, पर समझौते के मदों के बारे में पूर्ण विवरण देना अवांछनीय होगा । हां, माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक ३० नवम्बर, १९५१ और १५ दिसम्बर, १९५१ को निकाली गई प्रेस विज्ञप्तियों की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन बातचीतों के प्रसंग में "सिन्थैटिक" पैट्रोल के निर्माण की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ।

जापान को कोयले का निर्यात

३४७. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या **उत्पादन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०, १९५१ तथा १९५२ में कितने टन कोयला जापान भेजा गया है ?

(ख) किस-किस प्रकार का कोयला भेजा गया तथा उसका प्रति टन मूल्य क्या था ?

(ग) क्या भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच कोयले के प्रदाय के सम्बन्ध में कोई संविदा हुई है ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क)—

वर्ष	टन
१९५०	९६,६८१
१९५१	५४३,२१९
१९५२ (सितम्बर तक)	५८९,६३०

(ख) सैलेक्टेड एऔर बी ग्रेड का कोकिंग तथा नान-कोकिंग दोनों प्रकार का कोयला भेजा गया था । निम्नतम निर्यात मूल्य, कलकत्ते में जहाज पर लादने पर, इस भांति रहे हैं :—

	१-१०-५१ से ३१-१२-५१	१-१-५२ से ३१-३-५२	१-४-५२ से
कोकिंग सैलेक्टेड ए०	३२-१०-०	३४-१०-०	३५-१०-०
सैलेक्टेड बी०	३१-१०-०	३३-१०-०	३४-१०-०
नान-कोकिंग सैलेक्टेड ए०	३१-१३-०	३२- ०-०	३३- ९-०
सैलेक्टेड बी०	३०-१३-०	३१-१३-०	३२- ९-०

जापान को २६ फरवरी, १९५१ से पहले किये गये निर्यात का लगभग औसत मूल्य (कलकत्ते में जहाज पर लादे जाने पर) ३० रुपये ७ आने प्रति टन था । २६ फरवरी, १९५२ से ३० सितम्बर, १९५१ तक की कालावधि में औसत निर्यात मूल्य (कलकत्ते में जहाज पर लादे जाने पर) ४१ रुपये ७ आने प्रति टन था ।

(ग) कोई बाकायदा संदिया नहीं है ।

गिरिडीह कोंयला खानों में उत्पादन

३४८. श्री एन० पी० सिन्हा: (क) क्या उत्पादन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४८, १९४९, १९५० और १९५१ में भारतीय सरकारी रेलवे कोयला खानों द्वारा उत्पादित समस्त विभिन्न प्रकारों की कुल मात्रा कितनी कितनी थी ?

(ख) क्या कोयला खानें नुकसान से चल रही हैं तथा यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना नुकसान रहा है ?

(ग) क्या नुकसान उत्पादन में कमी होने के कारण हुआ है तथा यदि हां, तो क्या सरकार उत्पादन में वृद्धि करने के अभिप्राय से जट खुटी पहाड़ी की खानों का विकास करने का विचार कर रही है ?

(घ) क्या इन कोयला क्षेत्रों में अन्य ऐसे स्थान भी हैं जहां से ऐसा कोयला निकाला जा सके जिस में ३० प्रति शत से कम 'राख' हो ?

(ङ) वार्षिक हानि को समाप्त करने के अभिप्राय से ध्यम में कमी करन के लिय सरकार क्या पग उटाने का विचार कर रही है ?

उत्पादन : (श्री के० सी० रेड्डी)

(क)—

१९४७-४८	४,८३,००० टन
१९४८-४९	४,४५,९८३ टन
१९४९-५०	३,७३,९६० टन
१९५०-५१	३,२६,०९७ टन
१९५१-५२	३,०९,००४ टन

(ख) जी हां । हानि इस प्रकार थी :

१९४८-४९	२९,२८,९५६ रु०
१९४९-५०	४०,९७,६६६ रु०
१९५०-५१	४७,७४,१८३ रु०
१९५१-५२	४८,७८,९३३ रु०

(ग) हानि का कारण उत्पादन में कमी होना, खान से कोयला बाहर निकालने के

व्यय के दर में वृद्धि होना, प्रति पारी में प्रति व्यक्ति द्वारा निकाले जाने वाले कोयले की मात्रा में कमी होना, मजदूरों का आवश्यकता से अधिक संख्या में होना, खानों में काम करने की हालतों का ठीक न होना है। जट खुटी पहाड़ी के भदुआ "नान-कोकिंग" कोयला तह से कोयला निकालने के लिये प्रबन्ध किये जा चुके हैं ।

(घ) जी हां ; ऊपरी कुरहाड़बाड़ी तह —जिस में कोई २० लाख टन "कोकिंग" कोयला सेलैक्टेड ए ग्रेड है ।

(ङ) हानि को कम करने के लिये निम्न-लिखित कार्यवाहियां की गई हैं या की जा रही हैं :—

(१) मजदूरों तथा कर्मचारियों की भरती गत तीन-चार वर्षों से बन्द सी है ।

(२) फ़ालतू मज़दूरों तथा कर्मचारियों को निकालने का विचार है । इन पर इस समय प्रति वर्ष १२ लाख रुपये से अधिक व्यय हो रहे हैं ।

(३) खानों में सामान के उपयोग पर कड़ा नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध रखा जा रहा है ।

(४) अन्य सब कार्यवाहक व्ययों पर कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा है ।

(५) भदुआ में सैलेक्टेड बी ग्रेड—"नान-कोकिंग" कोयला-उत्पादन में वृद्धि करने की प्रस्थापना है ।

जेकोस्लोवाकिया तथा रूस को अभ्रक का निर्यात

३४९ **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में ज़ैकोस्लोवाकिया तथा सोवियत रूस को कुल कितनी मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया गया ?

(ख) क्या उपरोक्त तीन वर्षों में ब्राज़ील की अभ्रक का भारत में आयात किया गया है तथा यदि किया गया है, तो उक्त प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी मात्रा में ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) ज़ैकोस्लोवाकिया को निर्यात :

वर्ष	टन
१९४९	७
१९५०	१४
१९५१	११३

इन वर्षों में सोवियत रूस को कोई निर्यात नहीं किया गया ।

(ख) जी नहीं ।

कुटीर उद्योग बोर्ड की सिफारिशें

६५०. **श्री मादिया गौडा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग बोर्ड की १७ मार्च, १९५२ को हुई चतुर्थ बैठक में क्या-क्या सिफारिशें की गई तथा उनका पालन करने के लिये क्या पग उठाये गये ?

वाणिज्य मन्त्री श्री करमरकर) : सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ४७**]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

३५१ **श्री मादिया गौड़ा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** केन्द्रीय रेशम बोर्ड का वर्ष १९५२-५३ का कार्यक्रम तथा उसका बजट सदन-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : गत दो बार केन्द्रीय रेशम बोर्ड का पुनर्निर्माण दिनांक ९ अप्रैल, १९५२ को किया गया था । इस बोर्ड की प्रथम बैठक नई दिल्ली में २२ सितम्बर, १९५२ को हुई थी । तब से दो बैठकें टैक्निकल विकास समिति की और एक बैठक

बोर्ड की स्थायी समिति की हो चुकी है जिन में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विनिश्चय किये गये हैं। राज्य सरकारों की भिन्न-भिन्न रेशमकृमि-पालन विकास योजनाओं को दिये जाने के लिये १,६०,३९० रुपये के सहायक अनुदान स्वीकृत किये गये थे। १,००.००० रुपये का एक और सहायक अनुदान मैसूर, मद्रास, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम रेशम कृमि-पालन अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना के लिये स्वीकार किया गया था। उन विभिन्न विकास योजनाओं पर निगरानी रखने के अलावा, जिन के लिये भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों को अनुदान दिये गये हैं, बोर्ड वर्ष १९५२-५३ के कार्यक्रम पर भी विचार कर रहा है। एक विवरण "क" सदन-पटल पर रखा जाता है जिसमें कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया है।

१९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा ४,५०.००० रुपये का अनुदान दिया गया है और बोर्ड का विचार ४,७१,६९९ रुपये (गत वर्ष की बची हुई २१,६९९ रुपये की राशि सहित) सदन-पटल पर रखे गये विवरण 'ख' में बतलाये गये ढंग से खर्च करने का है। **देखिये [विवरण 'क' तथा 'ख' के लिए परिशिष्ट ५, अनबन्ध सख्या ४८.]**

संयुक्त राजतन्त्र से आयात की गई मशीनें तथा औजार

३५२. **पडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में संयुक्त राजतन्त्र से कितनी तथा कितने मूल्य की मशीनें तथा औज़ार मंगाये गये ?

(ख) किस प्रकार की मशीनें मंगाई गई हैं तथा उनमें से कितनी भारत में पहुंच गई हैं ?

(ग) कितनी मशीनें नई फ़ैक्टरियां चालू करने के लिये हैं तथा कितनी पुरानी मशीनों के स्थान में प्रयोग की जाने के लिये हैं ?

(घ) संयुक्त राजतन्त्र से १९५१ तथा १९५२ में कितनी तथा कितने मूल्य की गाड़ियां मंगाई गईं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या ४९]**

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह ख्याल करते हुए कि निदश मोटर गाड़ियों की ओर है, सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०।]

चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड

३५३. **श्री बेली राम दास :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में अब तक भारत में चाय की पेटियों के लिये कितने प्लाइवुड का आयात किया गया ?

(ख) आयात किये गये प्लाइवुड के कितने प्रति शत भाग का आसाम में चाय की पेटियों के लिये प्रयोग किया गया ?

(ग) क्या सरकार आसाम में एक प्लाईवुड बनाने का कारखाना खोलने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)—

वर्ष	मात्रा (सैटों की संख्या)	मूल्य (रुपयों में)
१९४९–५०	नहीं रखी गई	१ ३०,१९,८३०
१९५०–५१	नहीं रखी गई	५०,९४,०५०
१९५१–५२	२,५८२,०६२	१.४२,८०,४७०

१९५२ के पांच मास (अप्रैल से अगस्त तक)	४३१,०१७	२७,८०,३१२

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

भाकरा-नंगलप रियोजना में अमेरिकी इंजीनियर

३५४. श्री के० सुब्रह्मण्यम् : (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भाकरा-नंगल परियोजना में लगे हुए अमेरिकी इंजीनियर विशेषज्ञ ने त्याग पत्र दे दिया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उन के त्यागपत्र देने का कारण क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने उक्त इंजीनियर को, ठेके की कालावधि पूरी न होने के कारण, कोई क्षतिपूर्ति की है ?

(घ) क्या उनके स्थान पर कोई अन्य विदेशी इंजीनियर नियक्त करने का विचार है ?

(ङ) क्या उन के त्याग पत्र से परियोजना के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) तक। प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होते ।

हीराकूंड में मलेरिया निरोधक उपाय व्यम

३५५. श्री पी० सुब्बाराव : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हीराकुड तथा बर्ला में मलेरिया निरोध उपायें पर ४ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च होते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमत्री (श्री हाथी). : मलेरिया निरोधक उपायों पर होने वाला व्यय किसी अनुक क्षेत्र की जनसंख्या पर उतना निर्भर नहीं है जितना कि इस बात पर कि उस क्षेत्र में ऐसे कितने तालाब और रुके हुए पानी के गड्ढे आदि हैं जिनमें कीट-नाशक दवाइयां आदि डाली गई हैं। जनसंख्या के आधार पर हीराकुड बांध परियोजना क्षेत्र में यह व्यय कोई ३ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष फैलता है ।

हीराकुड में मलेरिया निरोधक उपाय

३५६. श्री पी० सुब्बा राव : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीरा कुड परियोजना क्षेत्र में मलेरिया निरोधक अधिकारी द्वारा क्या-क्या मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां की जा रही हैं; तथा

(ख) मलेरिया निरोधक कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष (१) कर्मचारियों के वेतन ; (२) दवाइयों तथा (३) अन्य मलेरिया निरोधक उपायों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाती है ?

सिंाईच तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी): (क) (१) हीराकुड बांध परियोजना की, हीराकुड, बर्ला, चिपला और बारागढ़ बस्तियों में मलेरिया निरोधक अधिकारी द्वारा मलेरिया निरोधक उपायों के रूप म क्षेत्रों का पर्यालोकन किया जा रहा है, छोटे तथा बड़े मच्छरों का बढ़ना रोका जा रहा है तथा जहां जहां पानी इकट्ठा है, वहां-वहां डी० डी० टी० तथा अन्य कीटनाशक तेल छिड़का जा रहा है ।

(२) छोटे-छोटे तथा दूर-दूर स्थित स्थानों में, जहां बड़े तथा छोटे मच्छरों का बढ़ना रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किये जाते, गल्युड्रीन का वितरण आदि किया जाता है ।

(ख) वर्ष १९५१-५२ में–

(१) कर्मचारियों का वेतन २०,८८५ रुपयें।

(२) दवाइयां २६,२१८ रुपये।

(३) अन्य मलेरिया निरोधक उपायों, जैसे ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों पर, ३२,३६६ रुपये।

हीराकुड परियोजना क्षेत्र के गावों से भूमि छेड़ने के नोटिस

३५७. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी १९५२ में हीराकुड परियोजना क्षेत्र के ३८ गांवों के निवासियों को अगली वर्षा ऋतु से पहले अपनी भूमि छोड़ देने के नोटिस दिये गये थे ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि जिन गांवों को उक्त नोटिस दिये गये थे उनमें से अधिकांश में भूमि छोड़ने वाले व्यक्तियों को दिये जाने वाले प्रतिकर का निर्धारण या निश्चय नहीं किया गया था।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार से ठीक-ठीक जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अगर-अगर फैक्टरियां

३५८. **श्री सगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अगर-अगर की फैक्टरियां हैं ;

(ख) यदि हैं, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या रायागदा (उड़ीसा) में कभी अगर-अगर बनाने का संयन्त्र लगाया गया था ; तथा

(घ) यदि लगाया गया था तो उसका क्या बना ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) तक। भारत में केवल एक फैक्टरी, अर्थात् मैसर्स जैपुर शुगर कम्पनी, रायागदा (उड़ीसा), है जो अगर-अगर तैयार करती है। इस समय फैक्टरी बिजली न मिलने के कारण बन्द है। आशा है कि वह इस मास काम पुनः प्रारम्भ कर देगी।

सामूहिक योजना का वार्षिक बजट

३५९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **योजन** मंत्री (१) ग्राम यूनिट, (२) मंडी यनिट, तथा (३) विकास ब्लाक के अधीन एक सामूहिक परियोजना का वार्षिक बजट बतलाने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (१) ५,८३२ रुपये (औसत)

(२) ७५,७८९ रुपये (औसत)

(३) ७,२२,३०० रुपये (औसत)

फ़िल्मों का नियम तथा आयात

३६०. **श्री एन० बी० चौधरी ;** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५० से अक्तूबर १९५२ तक की कालावधि में *किन किन* देशों को भारतीय फिल्म भेजे गये तथा उनकी संख्या कितनी-कितनी थी ; तथा

(ख) किन-किन देशों से फ़िल्म भारत आये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) अपेक्षित जानकारी प्राप्य नहीं है क्योंकि भारत से किये जाने वाले निर्यात व्यापार की सूची में फ़िल्मों का पृथक उल्लेख नहीं है।

(ख) फ़िल्म मुख्यतया संयुक्त राजतंत्र बैल्जियम, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से आये हैं।

हैदराबाद में दियासलाई के कारखाने

३५१. **श्री एच० जी० वैष्णव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य में दियासलाई के कितने कारखाने हैं ?

(ख) वे कहां कहां स्थित हैं तथा क्या वे सब काम कर रहे हैं ?

(ग) उन कारखानों की उत्पादन क्षमता क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जहां तक हमें जानकारी है, बारह ।

(ख) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१**]

(ग) प्रति वर्ष लगभग ६,००० डिब्बे जिनमें से प्रत्येक में ६० तीलियों वाली ५० ग्रौस डिब्बियां होती हैं ।

भाकरा बांध में सेवायुक्त अमेरिकी विशेषज्ञ

३६२. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भाकरा बांध में अब तक निर्माण तथा डिज़ायन संबंधी कार्य के लिये अलग-अलग कुल कितने अमेरिकी विशेषज्ञ रखे गये तथा उसके पूरे होने तक प्रति वर्ष कितने और रखने पड़ेंगे ?

(ख) भाकरा बांध के पूरे होने तक कुल कितने अमेरिकी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी ?

(ग) वर्तमान अमेरिकी विशेषज्ञों का अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन, भारतीय आयकर सहित और बिना आयकर के, कितना-कितना है ?

(घ) इन विशेषज्ञों के वेतन तथा भत्ते पर अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय, भारतीय आयकर सहित तथा आयकर के बिना, होता है ?

(ङ) उनकी अमेरिका से भारत तथा भारत से अमेरिका यात्रा पर—उनके परिवार तथा व्यक्तिगत सामान सहित कितना व्यय किये जाने की व्यवस्था है ?

(च) उनको दी जाने वाली अन्य सुविधाओं, जैसे बिना किराये के मकान तथा सवारी आदि, पर कितना व्यय हो रहा है और होगा ?

(छ) करारनामे में उपबन्धित सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें अन्य क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं तथा उन पर सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(ज) शुरू में कितने अमेरिकी विशेषज्ञ रखे जाने का ख्याल था और अब कितने रखने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ज) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें भाकरा-नंगल परियोजना के संबंध में अब तक रखे गये अमेरिकी विशेषज्ञों की सूची, उनके पद, ठेके की कालाविधि तथा नौकरी की अन्य शर्तों सहित, दी गई है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२**]

अन्य बातों के संबंध में जानकारी पंजाब सरकार से प्राप्त की जा रही है तथा यथा-शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेशम के कीड़े के बीज (आयात)

३६३. **श्री मादिया गोडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में विदेशों से कितने रेशम के कीड़ों के बीज का आयात किया गया तथा उनका क्या मूल्य था ; तथा

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा इन्हें इकट्ठे खरीदने तथा विभिन्न राज्यों को बांटने के लिये कोई प्रबन्ध किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) १९५०-५१ १३,५२० औंस और ५१९०' लेयिंग' एक 'लेयिंग' एक रेशम के कीड़े द्वारा दिये गये अंडों का समूह होता है) ।

१९५१-५२——४० औंस

रेशम के कीड़ों के बीजों के मूल्य के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

कला तथा शिल्प में प्रशिक्षित विस्थापित व्यक्ति

३६४. **श्री एन० एल० जोशी :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में सरकार द्वारा देश में खोले गये भिन्न-भिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने विस्थापित व्यक्तियों ने विभिन्न कलाओं तथा शिल्पों में प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

(ख) उनमें से कितनों को सरकार से ऋण मिला ताकि वे सीखी हुई शिल्पकला से अपनी जीविका कमा सकें ?

(ग) इस वर्ष उपरोक्त प्रयोजनार्थ स्वीकृत ऋण की राशि क्या है ?

पुनर्वास उपमन्त्री श्री जे० के० भोंसले): (क) सन् १९५२ के आंकड़े इस समय प्राप्य नहीं हैं ; हां, सितम्बर १९५२ के अन्त तक प्रशिक्षित विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ६२,००० से अधिक थी ।

(ख) तथा (ग) । जानकारी प्राप्य नहीं है ।

कपड़ा मिलों को निरीक्षण

३६५. **श्री एन० एल० जोशी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५२ में संघ सरकार के उद्योग विभाग के पदाधिकारियों ने देश की कपड़ा मिलों के प्रबन्ध तथा कार्य-संचालन का निरीक्षण करने के प्रयोजन से कोई निरीक्षण दौरे किये थे ?

(ख) यदि किये थे, तो किन किन पदाधिकारियों ने और वे कहां-कहां गये थे ?

(ग) क्या सरकार उनकी रिपोर्टों के संगत अंशों को सदन-पटल पर रखने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) तक । कुछ प्रादेशिक पदाधिकारियों को अमुक क्षेत्रों में दौरा करने का अधिकार रहता है और वे उस क्षेत्र में नियमित रूप से दौरा करते रहते हैं । टैक्सटाइल कमिश्नर और उनके सहायक भी दौरा करते हैं । कई पदाधिकारियों के दौरा कार्यक्रम की रिपोर्ट मांगी गई है तथा यथा समय सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

कांफ़ी

३६६. **श्री मादिया गौडा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपयोग को जाने के लिये सामान्यतया कितनी कॉफ़ी की आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) वर्ष १९५१-५२ में भारत में कितनी कॉफ़ी पैदा हुई तथा १९५२-५३ में कितनी कॉफ़ी पैदा होने का अनुमान है ;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी कॉफ़ी बाहर भेजी गई ; तथा

(घ) मार्च १९५२ के मास से अब तक प्रत्येक मास में इकठ्ठे नीलाम में प्लान्टेशन ए और अरेबिका चैरी का प्रति हंड्रैडवैट क्या मूल्य था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हाल के वर्षों में कोई १८,५०० टन कॉफी की आवश्यकता पड़ी है ।

(ख)	१९५१-५२	२०,८६४ टन
	१९५२-५३	२१,००० टन (अनुमानित)
(ग)	१९४७-४८	३ टन
	१९४८-४९	३,११७ टन
	१९४९-५०	३,८९४ टन
	१९५०-५१	३०० टन
	१९५१-५२	२,२०० टन

(छ)–

मास	प्लान्टेशन ए	अरेबिका चैरी फ़्लैट्स
	रुपये	रुपये
मार्च	१९६-७-१	१८५-७-०
अप्रैल	२०७-७-०	१८२-९-०
मई	२३८-११-०	२१०-१३-०
जून	२५२- ०-०	२२२- ८-०
जुलाई	२६९- ६-०	२२६- ८-०
अगस्त	२९९-१२-०	२३६-१४-०
सितम्बर	३१६-१४-०	२६८-१०-०
अक्तूबर	३०४- ६-०	२५९- ३-०
नवम्बर	२५७-१०-४	२२५- ८-०

ऊन निर्यात

३६७. डा० राम सुभग सिंह सिंह : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५१-५२ में निर्यात किये गये ऊन की कुल मात्रा वर्ष १९५०-५१ में निर्यात किये गये ऊन की मात्रा से कम है तथा यदि कम है, तो कितनी?

(ख) ऊन निर्यात में यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । कमी ७,०७६,४४१ पौंड है ।

(ख) वर्ष १९५१-५२ में निर्यातों में, कमी होने के मुख्य कारण व्यापार में सामान्य रूप से मंदी आजाना है जिसके फलस्वरूप विदेशों में ऊनी कपड़े के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा वहां उसकी मांग भी गिर गई है ।

यमुना का बंद

३६८. डा० राम सुभग सिंह : (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली के निचले क्षेत्रों को यमुना की बाढ़ से बचाने के लिये १० मील लम्बे बन्द बनाने की प्रस्थापना भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ?

(ख) यदि स्वीकार कर ली गई है तो उसके निर्माण कार्य के कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ?

(ग) उस पर अनुमानित व्यय क्या होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) निर्माण कार्य तो केवल तभी शुरू हो सकता है जब योजना स्वीकार कर ली जाये । इस अवस्था पर कोई निश्चित तिथि बतलाना संभव नहीं है ।

(ग) १३,१४,००० रुपये ।

विदेशी फ़िल्मों का आयात

३६९. श्री एन० बी० चौधरी : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में कितने विदेशी फ़िल्म भारत आये ?

(ख) वर्ष १९५१-५२ कितने अमेरिकी फ़िल्म भारत आये ?

(ग) उसी कालावधि में कितने रूसी फ़िल्म भारत आये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३**]

अंक ६ शुक्रवार
संख्या २ ५ दिसम्बर १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

[हिन्दी संस्करण]

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अनुपस्थित रहने की अनुमति [पृष्ठ भाग १२८७]
राज्य परिषद् का संदेश [पृष्ठ भाग १२८८]
पटल पर रखे गए पत्र :—
निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद् मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९५८५-डब्ल्यू २/५२ दिनांक २५-११-५२ [पृष्ठ भाग १२८८]
निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९५८६-डब्ल्यू २/५२ दिनांक २६-११-५२ [पृष्ठ भाग १२८८]
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक —संशोधित रूप में पारित [पृष्ठ भाग १२८९—१३०३]
परिसीमन आयोग विधेयक — प्रवर समिति की रिपोर्ट को समक्ष रखना [पृष्ठ भाग १३०३]
पाकिस्तान से जनप्रवाह (नियंत्रण) निरसन विधेयक— विचार करने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद— पूरा नहीं हुआ [पृष्ठ भाग १३०४—१३३८]

मूल्य ६ आने)

संसदीय वाद विवाद

(भाग २- प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

११–४५ म० पू०

अनुपस्थित रहने की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कन्हैया लाल नानाभाई देसाई का मेरे पास पत्र आया है। वे अस्वस्थ हैं तथा संसद् के सत्र से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहते हैं।

क्या उन्हें यह अनुमति दी जाये ?

अनुमति दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० गोपालन भी अस्वस्थ हैं तथा वे इस सत्र पर सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहते हैं। क्या उन्हें यहअनुमति दी जाये?

अनुमति दी गई।

इसके पश्चात् श्री गिडवानी एक अल्प-सूचना प्रश्न पूछना चाहते थे, परन्तु वह उस दिन के लिए नियत नहीं किया गया था इसलिये नहीं पूछा गया।

राज्य परिषद

उपाध्यक्ष महोदय : अब संसद् सचिव राज्य परिषद् से आये हुए संदेश को पढ़ेंगे।

संसद सचिव : राज्य परिषद् से दो संदेश आये हैं। पहले संदेश के अनुसार राज्य-परिषद् ने ३ दिसम्बर की बैठक में बिना संशोधन के वायदा सौदे (नियमन) सम्बन्धी विधेयक १९५२, को पारित कर दिया है। दूसरे संदेश के अनुसार राज्य परिषद् ने ३ दिसम्बर की अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के भारतीय शक्ति सुषव (संशोधन) विधेयक १९५२, को पारित करं दिया है।

पटल पर रखे गये पत्र

अचल सम्पत्ति की अधियाचना और अवाप्ति के १९५२ के अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : अचल सम्पत्ति की अधियाचना और अवाप्ति के १९५२ के अधिनियम धारा १७ उपधारा (२) के अधीन निकाले गई निम्न दो अधिसूचनाओं की एक एक प्रति में सदन के पटल पर रखता हूं : (१) अधिसूचना संख्या १९५८५ WII/५२ दिनांक २५ नवम्बर १९५२; और (२) अधिसूचना संख्या ९५८६ WII/५२, दिनांक २६ नवम्बर १९५२. [**पुस्तकालय में रखी हैं। देखिये संख्या पी-८४/५२**]

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन औद्योगिक वित्त निगम विधेयक १९४८ के संशोधन पर विचार करेगा ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिमी कटक) : माननीय मंत्री जी ने लाला श्रीराम का पत्र पटेल पर नहीं रखा है ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : वह लम्बा पत्र है । यदि माननीय सदस्य उसे कार्यवाही का अंग बनाना चाहते हैं तो मुझे भय है कि उससे उन उन साथों का ही विज्ञापन होगा । मैं चाहता था कि उनका विज्ञापन तथा उनकी आलोचना न हो । मैं ने उसके संगत भाग पढ़ कर सुना दिये हैं । मेरे पास वह पत्र है । उसे कार्यवाही का अंग न बनाया जाये । जो माननीय सदस्य उसे देखना चाहें वे देख सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : संसद् सचिवालय कार्यालय में मैं दो बार गया परतु वह मुझे न मिल सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उसमें कोई गुप्त बात न हो तो वह पटल पर रख दिया जाये । वह संसद् की कार्यवाहियों के साथ नहीं छापा जायेगा ।

श्री त्यागी : अच्छी बात है श्रीमान्, मैं उसे सदन के पटल पर रखता हूं [पुस्तकालय में रखा है । देखिये संख्या पी–८६।५२]

खंड २१––(धारा ३२ आदि का संशोधन)

खंड २१ का कोई संशोधन न था । उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया । वह स्वीकार हुआ तथा खंड २१ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड २२––नई धारा ३२ क का जोड़ना)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवमूर्ति स्वामी का संशोधन नियम बाह्य है । क्या और कोई अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़ ज़िला––पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ ७ पंक्ति ४७ से ४९ में " Standing in the reserve fund established under sub section (I) of section 32 and the special reserve fund" ["धारा ३२ उपधारा (१) के अधीन बनाई गई रक्षित निधि तथा विशेष रक्षित निधि में"] के स्थान में "so credited" ["इस तरह जमा किये गये"] शब्द रख दीजिये ।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : हम स्वीकार करते हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं इस संशोधन द्वारा विशेष रक्षित निधि की स्थापना करना चाहता हूं । औद्योगिक वित्तीय निगम आधार उद्योगों और जहाज के उद्योगों को भी उधार देगा । उधार की अधिकतम राशि भी ५० लाख से बढ़ा कर १ करोड़ कर दी गई है। हमें प्रतिभूतियों के आधार पर उधार लेने की शक्ति मिल गई है । इन सब कारणों से विशेष रक्षित निधि की राशि को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है ।

उधार लेने वाले लोगों की चिन्ता में पड़कर हम ने इस बात की उपेक्षा कर दी है । मेरा सुझाव है कि रिज़र्व बैंक का प्रत्याभूतित लाभांश तथा सरकारों के हिस्से यदि इसमें मिला लिये जायें नहीं तो विशेष रक्षित निधि शीघ्र नहीं बढ़ सकती ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने औपचारिक रूप से उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

श्री कास्लीवाल (कोटा–झालावाड़) : माननीय मंत्री जी ने विशेष रक्षित निधि की आवश्यकता के विषय में कुछ नहीं कहा है ।

अंशधारियों के ब्याज को चुकाने की प्रत्याभूति के लिए अब तक सरकार २६ लाख रुपये दे चुकी है। सरकार को अपने हिस्से का लाभ अथवा ब्याज भी मिला है। वह विशेष रक्षित निधि में क्यों रखा जाये ? वह केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व में क्यों न मिलाया जाये ?

१२ मध्याह्न

श्री एम० सी० शाह : अपने भाषण में मैं विशेष रक्षित निधि की आवश्यकता को बतला चुका हूं। सरकार ने रक्षित निधि के लिये रिज़र्व बैंक को ५ करोड़ रुपये दिये थे। अब हमारे पास बड़ी निधि है। यह अच्छा है कि निगम विशेष रक्षित निधि द्वारा अपनी स्थिति मजबूत बना ले इस बात का उपबन्ध किया गया है कि अंशधारियों को देने के लिये इस निधि से पैसे न लिये जायेंगे। उसके विषय में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को छोड़ कर किसी को कोई अधिकार न रहेगा।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : क्या उधार लेने की उसकी शक्ति आंकने में इस निधि की गणना की जायेगी ?

श्री **एम० सी० शाह** : उस से अवश्य ही निगम की साख बढ़ती है।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने औपचारिक रूप से उक्त प्रश्न प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ।

तदनन्तर खंड २२ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २४—(धारा ३४ आदि का संशोधन)

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ ८ पंक्ति ३५ में "section 5" "धारा ५"] के पश्चात् "or sub-section (२) of section 22" ["या २१ धारा की उपधारा (२)"] जोड़ दीजिये।

डा० एम० एम० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ८ पंक्ति ३८ में "Under sub-section (6), (६)" ["उपधारा (६) के अधीन"] ये शब्द हटा दीजिये।

मूल अधिनियम के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा २ अलोक सार्थे करती थीं। लोक लेखा समिति के विनिश्चय के अनुसार बाद में भारत के महालेखापरीक्षक का भी इसमें सहयोग लिया जाने लगा। परन्तु जिस प्रकार यह सहयोग लिया जाता है वह सन्तोषजनक नहीं है। निगम की सारी वित्तीय जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की होती है। दूसरे अंशधारियों को पूंजी और ब्याज की प्रत्याभूति दी है। अतएव मेरा निवेदन है कि इस निगम की लेखापरीक्षा महालेखापरीक्षक द्वारा करवाई जाये। इससे लोगों का विश्वास निगम के ऊपर बढ़ेगा तथा व्यर्थ की आलोचना न हो पायेगी। परन्तु कुछ अशासकीय अंशधारी भी हैं इसलिए लेखापरीक्षक की सारी जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक को नहीं दी जा सकती। फिर भी लेखा परीक्षा का इस विधेयक में जो उपबन्ध है वह दोषपूर्ण है। संसद् को लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता। मेरा सुझाव है कि उसका प्रत्येक लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन दोनों सदनों के समक्ष रखा जाये।

श्री एम० सी० शाह : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : मैं सोचता था कि श्री गुहा का संशोधन भी सरकार स्वीकार कर लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुहा का कोई संशोधन मेरे पास नहीं आया है।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने श्री एम० सी० शाह और डा० एम० एम० दास के प्रस्ताव रखे। वे दोनों स्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हां कहने वाले पर्याप्त लोग न होंगे तो मैं प्रस्ताव को पारित किया गया न मानूंगा। प्रश्न यह है कि :

"संशोधित रूप में खंड २४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २५—(धारा ३५ आदि का संशोधन)

श्री टी० के० चौधरी ने एक संशोधन प्रस्ताव रखा जो नियम बाह्य था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह नियमानुकूल है ?

श्री त्यागी : मेरे विचार में यह नियमबाह्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर मंत्री जी यह कहने के लिये क्यों रुके रहे।

श्री एस० एस० मोरे : यह खंड २५ के भाग (१) के विषय में है।

श्री के० के० बसु : यह धारा ३५ की उपधारा (२) के बारे में है।

श्री एम० सी० शाह : "वर्गीकरण" के स्थान पर हमने "वर्गीकरण दर्शाने वाला विवरण" कर दिया है। इस से बात स्पष्ट हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियमबाह्य है। इस संशोधन में कोई ठोस चीज़ नहीं है।

श्री के० के० बसु : हम इस बात की व्याख्या करना चाहते हैं कि वर्गीकरण में क्या क्या मिलाया जाये। अंशधारी होने के नाते सरकार को विस्तृत बातें जानने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे मानता हूं परन्तु जो बातें वर्गीकरण में आयेंगी वे मूल विधेयक का अंग नहीं हैं।

श्री एम० सी० शाह : राज्य वित्त निगम की प्रवर समिति के प्रतिवेदन में यह बात थी। उन्होंने यह खंड वहां मिलाया है। हमने प्रवर समिति के सुझाव को स्वीकार किया है।

श्री एस० एस० मोरे : सूचना देने में उन्हें क्या आपत्ति है ? मंत्री जी इस विषय में सदन का अधिकार मानते हैं फिर इसे विधेयक में क्यों नहीं रखते ?

श्री त्यागी : वह संगत नहीं है। मैं उसे विधेयक में कैसे रख सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह विधेयक के क्षेत्र के परे है। क्या और कोई सुझाव है ?

श्री एम० सी० शाह : २ मास के स्थान में हम ३ मास करना चाहते हैं।

श्री टी० के० चौधरी : मेरे पास पहली और चौथी रिपोर्ट है उन में एक सा वर्गीकरण नहीं है। पहली रिपोर्ट में वह प्रांत और राशि के अनुसार दिया गया है चौथी रिपोर्ट में उद्योग तथा राज्य के अनुसार दिया गया है। वास्तव में यह वर्गीकरण किस रूप में किया जाना चाहिये ?

श्री त्यागी : निगम से सब प्रकार की सूचना प्राप्त की जाती है। सरकार को सब सूचना मिल जाती है। यदि मैं कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि सरकार को वह सूचना मिली ही नहीं। विहित विवरण के अनुसार उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर सूचना देनी पड़ती

है । इसी बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो सूचना सरकार या रिज़र्व बैंक मांगे वह उन्हें देनी पड़ती है । कोई भी सूचना मंगाई जा सकती है । वे सरकार अथवा रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से कोई सूचना नहीं छिपा सकते ।

श्री टी० के० चौधरी : नहीं बात यह है कि मूल अधिनियम की धारा ३५ उपधारा (२) के अनुसार निगम उधार और विनियोजनों को एक निश्चित वर्गीकरण के अनुसार सरकार के सामने प्रस्तुत करता है । इस वर्गीकरण का वास्तविक रूप क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे सहयोगी ने उत्तर दे दिया है । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अधीन कुछ नियम बने हुए हैं । उनकी अनुसूची ध में वर्गीकरण सम्बन्धी सारी सूचना दी गई है । वह बहुत बड़ी है । माननीय सदस्य उसे जरा देखें । साथ में हमने यह भी कहा है कि हम इन सुझावों पर विचार करेंगे और यदि उन में कुछ सुधार करना होगा या कुछ जोड़ना होगा तो वैसा कर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिनको उधार दिया जाता है उनके नामों के बारे में क्या कोई उपबन्ध है ?

श्री एम० सी० शाह : वह नियमों में नहीं हो सकता । वह बात सरकार के हाथों में है । नियमों में एक विहित प्रपत्र है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उस प्रपत्र में वर्गीकरण दिया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं क्योंकि वह प्रकाशित किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह सरकार को भेजा जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : जी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह सदन की पटल पर नहीं रखा जाता ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उधार विषयक सूचना सरकार को आप से आप विहित प्रपत्र में मिलनी चाहिये तथा उन लोगों के नाम भी सूचित किये जाने चाहियें जो उधार लें ।

श्री एम० सी० शाह : हमें वह सूचना मिलती है ।

उपाध्यक्षमहोदय : विहित प्रपत्र में ?

श्री एम० सी शाह : जी नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी हमें सब सूचना मिल जाती है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : यदि कोई विशेष सूचना आवश्यक हुई तो क्या अतिरिक्त शीर्षक जोड़े जा सकते हैं ?

श्री त्यागी : यह इस पर निर्भर रहेगा कि सरकार के पास वह है अथवा नहीं । मेरे विचार में वाद विवाद से संगत बात यह है कि सरकार को इस अधिनियम ने आवश्यक शक्ति दी है अथवा नहीं । यदि सरकार के पास यह शक्ति है तो संसद् को संतुष्ट रहना चाहिये । प्रश्न तो केवल यह है कि सरकार क्या सूचना चाहती है । हम अनुसूची कभी भी बदल सकते हैं । नियम बनाने की शक्ति सरकार को दी गई है । प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास यह शक्ति होनी चाहिये ?

श्री एस० एस० मोरे : पर बात यह है कि क्या सरकार उस शक्ति का उपयोग कर रही है उसके बिना संसद् के प्रति अपनी जिम्मेवारी को वह पूरा नहीं कर सकती ।

श्री त्यागी : बड़े अचम्भे की बात है । कौन सी ऐसी सूचना है जो सदन को उपलब्ध नहीं है । मैं कह चुका हूं कि मंत्री से सलाह लेकर उधार दिया जाता है । सारी बातों

[श्री त्यागी]

क्यों जोड़ें जब हमारे पास उधार लेने वालों की सूचना पहले से ही है। जिम्मेवारी मेरी है। मैं उसे सदन के पटल पर नहीं रख रहा हूं। यह बात नहीं है कि मुझे उसके विषय में मालूम ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह चाहा जा रहा है कि उधार लेने वाले व्यक्तियों के नाम भी मिला लिये जायें जिस से सदन को उनका पता रहे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : माना कि यह संशोधन मूल अधिनियम की व्याप्ति के परे है परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रक्रिया के नियमों का प्रयोजन उद्देश्य की प्राप्ति है। जिनको उधार दिया गया है उन के नाम वित्त मंत्री के आने तक सरकार नहीं बताना चाहती। सरकार ने यह नहीं कहा कि भविष्य में नाम प्रकाशित किये जायेंगे अथवा नहीं। यदि सरकार इसे मानती है तो प्रक्रिया के नियमों की अवहेलना की जा सकती है। अतएव मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं। मंत्री जी हम से सहमत हैं। वित्त मंत्री जी के आने से ही बाधा पा रही है।

श्री त्यागी : केवल यह बात नहीं है। इसकी जांच करनी पड़ेगी। मैं आपके विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हूं। मैंने केवल यही कहा है कि वापिस आने पर वित्त मंत्री जी इसकी जांच करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २५ का संबंध धारा ३५से है। वह धारा निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी गई सूचना के बारे में है। उप-धारा (३) के अनुसार सरकार को वह विवरण सदनों के पटलों पर रखना चाहिये। प्रस्तुत संशोधन इस धारा के बारे में नहीं है। हम इस बात की भी चर्चा नहीं कर रहे कि सरकार सारी सूचना सदनों को दे। सरकार को निगम से पहले ही सारी सूचना मिल रही है अतएव यह संशोधन अनावश्यक है। वित्त-मंत्री के आने पर जो बात होगी उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता।

प्रश्न यह है कि :

"खंड २५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २६ से ३१

शेष खंडों का कोई संशोधन न था। वे इकट्ठे प्रस्तुत किये गये, स्वीकृत हुए तथा विधेयक का अंग बना लिये गये।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय ने औपचारिक रूप से उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : हमारे हितकारी राज्य की राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिये औद्योगीकरण आवश्यक है। इसके लिये नियमित रूप से पूंजी मिलना बहुत आवश्यक है। औद्योगिक वित्त निगम ने अल्पावधि में ही उन उद्योगों को सहायता दी है जिनका आरंभ होना अन्यथा संभव न था।

यह निगम दीर्घावधि के लिये उधार देने के निमित्त स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूंजी बाजार का संपूरक बनना था। यह उपयोगी सिद्ध हुआ है, इस में कोई शक नहीं है।

इसकी आलोचना भी हुई है । कुछ उद्योगों को इस से सहायता नहीं मिल सकी। सब को सहायता देना संभव नहीं है ।

ब्याज की दर बढ़ाने की भी आलोचना की गई है । निगम को भी व्यापारियों की भांति व्यवहार करना पड़ताहै। फिर भी इस की दर बाज़ार की दर से कम ही है ।

गत वर्ष इस से देश के उद्योगों को पर्याप्त सहायता मिली । जब विक्रेता का बाज़ार क्रेता का बाजार बन रहा था तब इसने सहायता देकर बहुत से उद्योगों को नष्ट होने से बचा लिया । निगम ने उद्योगों को कार्यवाहक पूंजी भी दी है । कोरिया युद्ध के कारण जब मूल्य बढ़े थे तब ऐसी स्थिति आ गई थी कि बिना इस सहायता के बहुत से उद्योगों का काम नहीं चल पाता । १५ करोड़ रुपयों में से ६ करोड़ नये उद्योगों को दिये गये तथा ५ करोड़ अन्य उद्योगों को विस्तार के लिये तथा उन्हें आधुनिक ढंग के बनाने के लिये दिये गये ।

मेरा सुझाव यह है कि अलोक सीमित समवायों को भी यह निगम उधार दे। पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित बहुत से छोटे उद्योगों को इस तरह बड़ी सहायता मिलेगी ।

दूसरा सुझाव यह है कि वह अनय समवायों के अंश भी खरीदे । अन्य देशों में ऐसा किया जाता है ।

इस निगम में एक आर्थिक गवेषणा विभाग होना चाहिये जिससे कि इसकी कार्यवाहियां योजनाबद्ध हो सकें ।

मैं इसके राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा जो बिलकुल नहीं बोले हैं ।

श्री मुरारका (गंगानगर–झुंझनू) : श्रीमान्, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । निगम की कार्यवाहियों के विषय में ससंद् अधिक चिन्तित रहती है । क्योंकि उसमें बहुत सा पैसा लगा हुआ । इसकी कार्यवाहियों पर हमारा नियंत्रण तब ही रह सकता है जब अधिक विस्तृत रूप में उसकी रिपोर्ट मिले और प्रत्येक वर्ष उस पर चर्चा करने के लिए सदन में एक दिन नियत किया जाये ।

निगम के संचालकों को उधार दी गई राशि के कारण लोगों को बड़ा असंतोष हुआ है । सरकार को यह नियम बना देना चाहिये कि निगम का कोई भी संचालक अपने कारखाने आदि के लिये निगम से रुपये उधार न ले पायेगा । यदि वह उधार लेना चाहे तो पहले वह अपने पद से स्तीफा दे दे । भारतीय समवाय अधिनियम की धारा ८६ (ध) में भी इसी प्रकार का उपबन्ध है। हमें उसका अनुसरण करना चाहिये ।

हमें जो रिपोर्ट दी गई है उसमें उन १३ सार्थों का उल्लेख नहीं है जिन्होंने रुपया नहीं पटाया है। निगम के लेखापरीक्षकों ने भी उसकी चर्चा नहीं की है । इन १३ सार्थों को कितना रुपया दिया गया था ? रुपया वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार ने उन पर कब्जा कर लिया है, अथवा उन्हें मोहलत दी है ? रिपोर्ट में इन सब बातों के विषय में चर्चा होनी चाहिये थी । यह नियम बना दिया जाये कि लेखा परीक्षक ऐसी सार्थों के विषये में विस्तृत रिपोर्ट दें ।

निगम की आर्थिक दक्षता बहुत कम है । दस करोड़ में से केवल सात करोड़ रुपये उधार लिये गये जिसके कारण निगम को हानि हुई । सारी राशि न ली जाने का क्या कारण था ? क्या सरकार की ओर से दस्तावेजों को पूरा करने में विलम्ब होने के कारण यह बात हुई ? ऐसी बात भविष्य में न हो । सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि बचा हुआ रुपया अन्य सरकारी तरल प्रतिभूतियों में लगा दिया जाये जिस से कि लोगों को समय पर

[श्री मुरारका]

राशि दी जा सके। जब बाजार में पूंजी की इतनी तंगी है तब इस तरह की हानि नहीं होनी चाहिये तथा अंशधारियों को ब्याज देने के लिये सरकार से नहीं कहा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : तृतीय पठन की व्याप्ति सीमित होती है। सदस्य विधेयक के पक्ष में या उसके विरोध में बोल सकते हैं। वे उसके विस्तार में न जायें।

श्री सारंगधर दास : जो बातें मैंने उठाई थीं उनका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री एम० सी० शाह : मैं श्री सारंगधर दास द्वारा उठाई गई सब बातों का उत्तर पहिले ही दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी के उत्तर से माननीय सदस्य संतुष्ट न हों तो वे दूसरे उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को फिर से दुहराने तथा फिर से भाषण देने की अनुमति मैं नहीं दे सकता।

श्री सारंगधर दास : सदस्य के भाषण में मंत्री को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है परन्तु जब कोई मंत्री भाषण देता है तो सदस्य को वैसी अनुमति नहीं दी जाती।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री सारंगधर दास : फिर मुझे बोलने दीजिये। मैं अधिक समय न लूंगा। बंगाल पाटरीज़ २५–३० साल से चल रही है। इसे उधार दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। उन सारी संस्थाओं के प्रबन्ध की बात अब यहां नहीं की जा सकती जिन्हें उधार दिया गया है।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे उधार देने के कारण अन्य छोटी पांच-छै पाटरीज़ का नाश होने वाला है। क्या सरकार की यह इच्छा है?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे समझ नहीं पाये। विभिन्न उद्योगों में पूंजी का उचित वितरण होना चाहिये। पर यह काम तो इसके लिये नियुक्त की गई समिति का है।

निगम के कुप्रबन्ध तथा उसको दी गई शक्तियों के बारे में चर्चा करते समय एक दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। पर हम प्रत्येक उदाहरण की गहराई में नहीं जायेंगे तथा यह जानने का प्रयत्न नहीं कर सकते कि विभिन्न नियम किस प्रकार बदले जायें जिस से कि पूंजी का उचित वितरण हो। माननीय सदस्य प्रस्तुत विधेयक की व्याप्ति को सदैव ध्यान में रखें।

श्री टी० के० चौधरी : श्री श्रीराम का पत्र पटल पर रखे जाने के पश्चात् हमें निगम के प्रशासन में कुछ त्रुटियां दिखलाई दी हैं। क्या हम वह बात उठा सकते हैं।

श्री सारंगधर दास : मेरा उद्देश्य यह है कि मैंने जो बात उठाई है उसको दूर करने के लिये सरकार प्रयत्न करे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं परन्तु कठिनाई यह है कि हम निगम के प्रशासन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उसकी शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। हम निगम के प्रशासन की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर सकते।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सात्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अब मत लिया जाये।"

श्री सारंगधर दास : आपने मुझे नहीं बोलने दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुझ पर निर्भर है।

श्री सारंगधर दास : मुझे शिरोधार्य है। अन्य भाषणों में सामान्य बातें भी लाई जाती

हैं जिस से कि उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहिले मैंने वह बात होने दी है । उसकी पुनरावृत्ति की अब कोई आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक उधार दी गई राशि पर यहां विस्तार पूर्वक बहस नहीं की जा सकती ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि :

"अब मत लिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विस्तार में उत्तर दे चुका हूं । और बातें कहने की मैं अब कोई आवश्यकता नहीं समझता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक २-३० म० प० तक के लिये स्थगित होगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

परिसीमन आयोग विधेयक

प्रवर समिति की रिपोर्ट को समक्ष रखना

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के समायोजन और अन्य सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को मैं समक्ष रखता हूं ।

पाकिस्तान से जन-प्रवाह (नियंत्रण) निरसन विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान से जन-प्रवाह (नियंत्रण) निरसन विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में जो दिल्ली पैक्ट हुआ था उसकी पाकिस्तान ने हँसी उड़ाई है । केवल भारत ने ही उसका पालन किया है । इससे पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को बहुत कष्ट हुआ है । आज पाकिस्तान पारपत्र पद्धति आरम्भ कर रही है क्योंकि भारत ने उसे खुश करने की नीति अपनाई है । पारपत्र पद्धति के कारण पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को बड़ी असुविधा होगी ।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न है । इस विधेयक का पूर्वी बंगाल से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह विधेयक तो पाकिस्तान से जन-प्रवाह (नियंत्रण) अधिनियम, १९४९ का निरसन करने के लिए समक्ष रखा जा रहा है । पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के पारस्परिक आवागमन को अभी तक अनुज्ञा पद्धति द्वारा नियंत्रित किया जाता था । पारपत्र पद्धति के आरम्भ होने से अब अनुज्ञा पद्धति समाप्त हो गई है । उसी के लिये यह विधेयक अधिनियमित किया जा रहा है । यह उस विधि का निरसन करने के लिये है जिसके अनुसार अनुज्ञा पद्धति चालू की गई थी । इसका पूर्वी पाकिस्तान से कोई सम्बन्ध नही है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इससे यह सिद्ध हो जायगा कि संसद् ने पारपत्र पद्धति को मान लिया है । हम उसका घोर विरोध करते हैं । डा० काटजू ने कलकत्ता और अगरतला में अपने भाषणों द्वारा लोगों से अपील की थी कि वे पारपत्र पद्धति को अस्वीकार कर दें । मैं भी उसी बात पर जोर देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह पारपत्र पद्धति पूर्वी पाकिस्तान में भी है ?

श्री बिस्वास : जी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पाकिस्तान से प्रवाह (नियंत्रण) अधिनियम केवल पश्चिमी पाकिस्तान को लागू होता है ?

श्री बिस्वास : जी । उसका प्रभाव केवल पश्चिमी पाकिस्तान पर पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पारपत्र पद्धति पाकिस्तान के दोनों भागों के लिये है ?

श्री बिस्वास : पश्चिमी पाकिस्तान में अनुज्ञा पद्धति के स्थान पर पारपत्र पद्धति आ गई है परन्तु यह पूर्वी पाकिस्तान पर भी लागू होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह सकता कि पारपत्र पद्धति के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह संगत नहीं है । जहां तक पूर्वी पाकिस्तान का सम्बन्ध है उस पर यह लागू नहीं होता । अतएव जहां तक यह पूर्वी पाकिस्तान से संगत है वहीं तक सदस्य बोलें ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिंडा) : जब भारत और पाकिस्तान की बात उठती है तब पाकिस्तान के एक भाग को दूसरे से अलग नहीं समझा जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : तभी तो मैं इसे कहने की अनुमति देता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : पारपत्र पद्धति से उन हिन्दुओं को बड़ा कष्ट हुआ है जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं । अतएव इस सरकार को चाहिये कि वह शीघ्रातिशीघ्र इसे मिटा दे । यद्यपि यहां के लोगों को भारत सरकार पारपत्र देती है परन्तु उन्हें दृष्टांक नहीं मिल पाता इसलिए वे पूर्वी बंगाल नहीं जा पाते । एक मंत्री जी ने अगरतले में लोगों से कहा कि वे आन्दोलन कर इस पद्धति को हटायें । लोग क्यों आन्दोलन करें ? हम उनके प्रतिनिधि हैं, अतएव हमें जनहित का ध्यान कर इस पद्धति को हटा देना चाहिये । पाकिस्तान सरकार से यह कहना चाहिए कि उसने दिल्ली पैक्ट को तोड़ा है तथा वह अनुचित बात कर रही है । उसकी इस नीति के कारण दो देशों में कोई व्यापार नहीं हो सकता । सीमा के दोनों ओर के लोगों को इस से नुकसान हो रहा है । जिन लोगों की सम्पत्ति और सम्बन्धी पाकिस्तान में रह गये ह उनको खराब व्यक्ति कह कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर दृष्टांक नहीं देता । बंगाल एक है, उसे कृत्रिम रूप से कोई विभाजित नहीं कर सकता । अतएव पारपत्र पद्धति मिटाने के लिए कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये । यदि पाकिस्तान दिल्ली पैक्ट का पालन नहीं करता तो हमें भी उसका पालन नहीं करना चाहिए । पाकिस्तान को खुश करने की नीति कभी भी अच्छी नहीं है । इस नीति से उन्हें खुश नहीं किया जा सकता । पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों की बड़ी दुर्दशा है । भारत में अल्पसंख्यकों की दशा अच्छी है फिर भी प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है । ऐसे कथनों से संसार की नज़रों में भारत गिर जाता है । ऐसी नीति छोड़ देनी चाहिए ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर सरकार ने देश में पारपत्र पद्धति आरम्भ कर दी है । सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम को नियमित बनाने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । हम इस विधेयक की नीति की आलोचना करना चाहेंगे ।

पारपत्र पद्धति से दोनों देशों के लोगों को नुकसान हुआ है । इस देश में २$\frac{1}{2}$ लाख लोग पूर्वी बंगाल से आये हैं । स्टेट्समेन के अनुसार पारपत्र पद्धति चालू होने के बाद १$\frac{1}{2}$ लाख

शरणार्थी आसाम में, ७५ हजार त्रिपुरा में और २ १/२ लाख पश्चिमी बंगाल में आये हैं।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): २ लाख ८० हजार आये हैं। आसाम के आंकड़े गलत हैं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : फिर भी यह काफी बड़ी संख्या है। नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार यह समझौता हुआ था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में पारस्परिक अबाध संचरण रहेगा इस विधेयक द्वारा वह समझौता तोड़ा जा रहा है। अतएव मैं उसका विरोध करती हूं। बंगाल का विभाजन कृत्रिम है। श्रमिकों, किसानों और व्यापारियों को अपने काम और व्यापार के लिये बंगाल के एक भाग से दूसरे भाग में आना जाना पड़ता है। इस पारपत्र पद्धति को आरम्भ करने से उन सब को हानि होगी। इस कठिनाई को जानकर ही हम ने पूर्वी बंगाल में निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम लागू नहीं किया था। दोनों बंगालों के हिन्दू मुसलमानों ने इस पारपत्र पद्धति का विरोध किया है। भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी इस के विरुद्ध आन्दोलन किया है। न मालूम हमारी सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान की अनुचित बात कैसे मान ली। इसका परिणाम यह हुआ है कि जनसाधारण को बड़ा कष्ट हो गया है। प्रधान मंत्री जी ने मुझ से कहा था पूर्वी बंगाल से आने वाले लोगों को प्रव्रजन सुविधाएं देने में वे उदारता दिखलायेंगे। वे प्रव्रजन प्रमाणपत्र के द्वारा आ सकते हैं। प्रव्रजन प्रमाणपत्र प्राप्त करने में भी बड़ी कठिनाइयां होती हैं। लोगों को ढाका जाकर कठिन प्रक्रिया का पालन कर न जाने कितने बार हाई कमिश्नर के दरवाजों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहां के मुसलमानों को भी कष्ट हो रहा है। अब्दुल मजीद ने अपने पत्र में, जो "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित हुआ है, बतलाया है कि पारपत्र पद्धति से बड़ी कठिनाई हुई। पाकिस्तान हाई कमिश्नर के कार्यालय में केवल ५० आवेदन पत्र स्वीकार किये जाते हैं परन्तु प्रतिदिन सैकड़ों पाकिस्तानी पाकिस्तान लौट जाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बतलाया है कि पाकिस्तान के जोर डालने पर ही भारत ने इस पद्धति को स्वीकार किया है। उन्होंने प्रार्थना की है कि पाकिस्तान सरकार भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को शीघ्र पारपत्र देने की सुविधा दे।

पारपत्र पद्धति से पाकिस्तान के हिन्दुओं और भारत के पाकिस्तानियों को हानि पहुंची है। यह पद्धति अमानवीय है। अनेकों गरीब व्यक्तियों को इससे नुकसान होगा। पूर्वी बंगाल से केवल धनवान लोग ही भारत आ सकेंगे। वहां पर बिना किसी नेता के केवल गरीब लोग रह जायेंगे। उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तान सरकार से चर्चा करना ठीक है परन्तु इस पद्धति से तो उनकी कठिनाइयां बढ़ती ही जायेंगी। मैं सदन से प्रार्थना करूंगी कि वे इस विधेयक का समर्थन न करें तथा पारपत्र पद्धति के हटाने पर जोर डालें।

श्री फ़ीरोज गांधी: (प्रतापगढ जिला—पश्चिम व राय बरेली जिला—पूर्व) : जहां तक मुझे मालूम है भारत में रहने वाले पाकिस्तानी बिना पारपत्र के अपने देश वापिस लौट सकते हैं। क्या यह ठीक है ?

श्री बिस्वास: उन्हें स्वदेश प्रत्यागमन प्रमाणपत्र अथवा प्रव्रजन प्रमाणपत्र लेना पड़ता है।

श्री फ़ीरोज गांधी: इस विषय में काफी भ्रम फैला है। जिस तरह कोई भी भारतीय बिना किसी पारपत्र के भारत आ सकता है वैसे ही पाकिस्तानी पाकिस्तान भी जा सकते होंगे।

श्री पी० एन० राजभोज: (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे कृपा करके कुछ बोलने के लिए पांच मिनिट का टाइम दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां दूंगा, लेकिन अभी नहीं ।

श्री ए० पी० जैन : पिछले सदस्य ने कहा था कि इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है । सदन में जो वाद विवाद हुआ है उस में आनुषंगिक बातों पर बहुत जोर दिया गया है परन्तु विधेयक के ऊपर बहुत कम कहा गया है । लोगों में इसके विषय में वास्तव में भ्रम फैला है तथा इस छोटे विधेयक के उपबन्धों का कुछ अशुद्ध अर्थ लगाया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : कोई भ्रम नहीं है । दूसरों को बोलने का अवसर अभी नहीं दियागया है ।

श्री ए० पी० जैन : यदि बोलने वाले सदस्यों ने असंगत बातें कही हैं तो मैं अवश्य कहूंगा कि लोगों को भ्रम है । मैं यह नहीं कहता कि अभी जिस सदस्य ने यह बात उठाई है उन्हें भी भ्रम है । उनके बोलने पर पता चलेगा कि उन्हें भी भ्रम है अथवा नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : आप मुझे प्रलोभन नहीं दे सकते ।

श्री ए० पी० जैन : इस विधेयक का ध्येय पाकिस्तान से जन-प्रवाह (नियंत्रण) अधिनियम का निरसन करना है वह अधिनियम पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच यात्रा करने वालों पर ही लागू था । पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच होने वाले आवागमन पर वह लागू नहीं था । लोग पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल को अबाध रूप से जा सकते थे तथा वहां से आ भी सकते थे । अतएव पूर्वी बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके विषय में जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वे इस विधेयक के प्रयोजन से असंगत हैं ।

जहां तक पश्चिम से सम्बन्ध है वहां से आने जाने पर अनुज्ञा पद्धति द्वारा नियंत्रण कर लिया गया है । पूर्वी बंगाल की स्थिति पर सदन में पूरे एक दिन चर्चा हो चुकी है । सदन को भलीभांति विदित है कि पारपत्र पद्धति मान ली गई है । यह भी विदित है कि भारत सरकार इसे नहीं चाहती थी । हम चाहते थे कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में अबाध संचरण रहे ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : फिर आपने हार क्यों मान ली ?

श्री ए० पी० जैन : प्रत्येक देश को अपने देश के कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार है । पाकिस्तान ने हम से पूछे बिना पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए पारपत्र पद्धति स्थापित करने का निश्चय किया । हमारे सामने क्या रास्ते थे ? हमने पाकिस्तान से कहा कि हमें वह पसन्द नहीं है । हमने उसे समझाने की कोशिश की कि पारपत्र पद्धति न लगाई जाये । परन्तु वे सहमत न हुए । एक मार्ग यह था कि पाकिस्तान के यह कदम उठाने पर भी हम उस पद्धति को न अपनाते । क्या सदन का कोई सदस्य इसके पक्ष में है ? पाकिस्तान पारपत्र तथा दृष्टांक भी लागू करना चाहता था । हम जो कुछ कार्यवाही करते वह निष्फल होती । अतएव हम ने यही उत्तम समझा कि पाकिस्तान से पारपत्र पद्धति को यथाशक्य उदारतम बनाने के लिए कहा जाये । इसमें हम बहुत कुछ सफल हुए क्योंकि वह ३ प्रकार के पारपत्र चालू करने के लिए सहमत हो गया । सारे भारत के लिए, पूर्वी क्षेत्र के लिये और सीमा के लिये तीन प्रकार के पारपत्र चालू किये गये ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी ने उन लोगों की असुविधाओं की चर्चा की जो सीमा पर मछली, तरकारी आदि लाते ले जाते हैं । इस वर्ग के लोगों को ज़िला मजिस्ट्रेट पारपत्र देता है तथा सिद्धान्त रूप से उस क्षेत्र में अबाध संचरण होता है । यदि वहां लोगों को असुविधाएं हुई हैं तो कम से कम हमारे कारण वे उत्पन्न नहीं हुई हैं ।

कई बातें उठाई गई हैं तथा यह कहा गया है कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर के पास कई बार जाने पर भी लोगों को पारपत्र नहीं मिला। हमें इसका खेद है। फिर भी हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में प्रवेश करने देने का अधिकार पाकिस्तान को है, हमें नहीं। अतएव पारपत्र की कुछ चर्चा प्रस्तुत वाद-विवाद से संगत भले ही हो परन्तु पारपत्र पद्धति के बारे में जो कुछ हो रहा है उसी को आधार बना विवाद करना इस विधेयक की चर्चा से असंगत है। पारपत्र पद्धति के चालू होने से यह विधेयक सामने आया है; इसके द्वारा वह पद्धति स्थापित नहीं की जा रही है।

यदि हम पाकिस्तान से जन-प्रवाह (नियंत्रण) अधिनियम का निरसन नहीं करें तो क्या स्थिति होगी? श्रीमती सुचेता-कृपलानी ने तो यहां तक कहा कि इस विधेयक को समाप्त किया जाये। परिणाम यह होगा कि भारत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पारपत्र तथा अनुज्ञापत्र भी लेना पड़ेगा।

श्रीमती सुचेता कृपलानी: मैंने तो यह कहा था कि हम उस आधार नीति के विरुद्ध हैं जिसके कारण पारपत्र पद्धति की स्थापना हुई।

श्री ए० पी० जैन: वे अपना भाषण पढ़ कर देखें। उन्होंने वास्तव ही में इस विधेयक को समाप्त करने की बात कही थी। इसे समाप्त करने से भारत और पाकिस्तान से आने जाने वाले लोगों को क्या अधिक सुविधा मिल जायेगी? इस से तो एक बाधा और खड़ी हो जायेगी। अतएव पारपत्र पद्धति के विषय में हमारे जो कुछ भी मत हों, पाकिस्तान से जन प्रवाह (नियंत्रण) विधेयक का निरसन करना आवश्यक हो गया है। इस से दोनों देशों में आने जाने की सुविधा भी बढ़ जायेगी। मैं कह चुका हूं कि भारत सरकार को पारपत्र पद्धति पसन्द नहीं थी। हमने उसका विरोध किया पर वह हमारे बस की बात नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान सम्बधी कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार पाकिस्तान को ही है। हमें इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि उनकी तरह हम भी पारपत्र पद्धति चालू करें।

सदन में यह चाल सी पड़ गई है कि जब कभी पाकिस्तान सम्बन्धी बात उठती है तब पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक की सारी कहानी दुहराई जाती है। जिन लोगों से अधिक अच्छी बातों की आशा होती है वे भी संगत असंगत बातें कहते हैं। नेहरू लियाकत पैक्ट की पूरी चर्चा की गई है यद्यपि इस विधेयक का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है। **(डा० एन० बी० खरे** किये गये पाप भुलाये नहीं जा सकते)। अतएव मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। जो बातें पहले ही हो चुकी हैं उनके कारण यह विधेयक आवश्यक हो गया है। यदि हम पाकिस्तान से प्रवाह (नियंत्रण) सम्बन्धी विधेयक का निरसन न करें तो दो देशों के बीच के आवागमन में हम बाधा खड़ी करेंगे। उसे सुगम नहीं बनायेंगे।

सरदार हुक्म सिंह: ऐसे गम्भीर विषय पर मंत्रियों के रुख को देख कर हमें खेद होता है। विस्थापित व्यक्ति ही उन शरणार्थियों के कष्टों का अनुमान लगा सकते हैं जो पूर्वी बंगाल से आ रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार को उन से सहानुभूति नहीं है पर वह उनके कष्टों का ठीक अनुमान नहीं लगा सकती।

जब कभी ऐसी बात हो जाती है तो सरकार कहती है कि यह हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है तथा उस पर हमारा कोई बस नहीं है। पाकिस्तान के कारण ही यह बात हुई है। सरकार के इरादे बड़े अच्छे हों परन्तु उनका यह रुख अच्छा नहीं है।

[सरदार हुक्म सिंह]

यदि यह मान लिया गया है कि पारपत्र पद्धति के कारण ही यह विधेयक समक्ष आया है तो पारपत्र पद्धति की चर्चा करना असंगत नहीं है ।

जब हम पश्चिमी पाकिस्तान से निकाले जा रहे थे तब हमारे बंगाली भाइयों ने हम सहानुभूति प्रकट की थी। हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि वैसी ही दशा उनकी होगी। अब वे हमारे पक्ष की भी सहायता करेंगे ।

जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान का सम्बन्ध है, यह विधेयक आवश्यक है । हमें इस समय चर्चा करनी चाहिये कि पारपत्र पद्धति किस प्रकार चल रही है तथा उससे लोगों को क्या कठिनाइयां हुई हैं । इस पद्धति के कारण १०० सिक्खों को नानकाना साहिब नहीं जाने दिया । पाकिस्तानियों को अपने तीर्थस्थानों को आने के लिए भारत सरकार पूरी सुविधा देती है । क्या वास्तव में सरकार असहाय है ? क्या हमारे लिये महात्मा स्प्रिट अच्छी है ? एक सरकार को दूसरी सरकार से कुछ सिद्धान्तों के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिये । सरकार इस विषय में असफल रही है । यदि ऐसा ही हाल रहा तो हमारी बुरी दशा होगी ।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मंत्री जी का मत भिन्न हो परन्तु हमारे मत में पारपत्र पद्धति की चर्चा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ लोग समझते हैं कि पारपत्र पद्धति स्थापित ही हो चुकी है तथा अब हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। परन्तु १५ नवम्बर १९५२ को पंडित नेहरू ने कहा था कि वे इसके विषय में आरम्भ से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच यह पद्धति नहीं चल सकती क्योंकि दोनों के बीच कोई स्वाभाविक सीमा नहीं है। लोगों के घरबार और सम्पत्ति दोनों स्थानों में फैली है तथा दोनों क्षेत्रों में घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध है । अतएव हमें इस पद्धति के विरुद्ध अपनी आवाज खड़ी करनी चाहिये तथा कहना चाहिये कि प्रस्तुत विधेयक आवश्यक नहीं है ।

पाकिस्तान में भी इसका विरोध किया जा रहा है । वहां की संसद् में अल्पसंख्यकों तथा मियाँ इफ्तकारुद्दीन ने यह प्रश्न उठाया है तथा पारपत्र पद्धति का विरोध किया है । श्री सुहरावर्दी ने भी २१ नवम्बर को ढाका में सरकार की पारपत्र पद्धति की आलोचना की थी। पाकिस्तान युवक संघ ने २१ नवम्बर को पाकिस्तान हिन्दुस्तान मित्रता दिवस घोषित किया था। पाकिस्तान के नव-ज़ेलाल पत्र ने साम्प्रदायिकता का विरोध करते हुए भारत से मित्रता बढ़ाने की बात प्रकाशित की थी। लोगों को सावधान करते हुए कहा कि प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी लोग दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना का लाभ न उठा पायें । २१ नवम्बर को पूर्वी बंगाल के विद्यार्थियों के संघ ने पारपत्र पद्धति को हटाने की मांग की थी। २६ नवम्बर को जनाब महमूद अली ने बताया कि पाकिस्तान के लोग पारपत्र पद्धति को हटाना चाहते हैं। दोनों देशों का जनमत इसके विरुद्ध है। इस के कारण दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंच रही है तथा लोगों को कठिनाई हो रही है अतएव हमें इस पद्धति को मिटाने के लिये प्रयत्न करना चाहिए ।

डा० एम० बी० खरे (ग्वालियर) : मंत्री जी ने बतलाया कि नेहरू लियाकत पैक्ट होने पर भी पाकिस्तान ने भारत को पारपत्र पद्धति स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। यह सब कहते समय मंत्री जी की दशा दयनीय थी ।

पाकिस्तान से किये गये अन्य समझौतों की तरह इस समझौते से भी यह स्पष्ट दिखा

लाई पड़ता है भारत सरकार पाकिस्तान के हित के विषय में अधिक चिन्तित है। आज जो लोग मंत्री बन बैठे हैं वे पाकिस्तान के मित्र तथा भारत के शत्रु हैं। ऐसी बातें मंत्री जी को बुरी लगती हैं। उनकी दोषी अंतरात्मा के कारण ही उन्हें ऐसा लगता है। परन्तु पुराने पाप कैसे भुलाये जा सकते हैं। मुझे भली-भांति मालूम है कि किस तरह कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से सन्धि कर पाकिस्तान को जन्म दिया। उसके प्रति अब प्रेम होना स्वाभाविक ही है।

यह विधेयक पारित हो ही जायेगा। मैं इसे नहीं रोक सकता। परन्तु श्रीमान् जी मैं इतना कहेदेता हूं कि राजनीति और इतिहास में किसी भी बात को अंतिम नहीं माना जा सकता। बंग विभाजन को अंग्रेजों ने निश्चित मान लिया था परन्तु बाद में बंगाल एक कर दिया गया। इस बार फिर से बंग विभाजन हुआ है। मुझे विश्वास है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होगी तथा बंगाल फिर से एक हो जायेगा।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् मैं चाहता हूं कि जितने शीघ्र पारपत्र पद्धति हटा दी जाये उतना ही अच्छा हो।

इस पद्धति से कुछ लोगों को बड़ी कठिनाई हुई है। कच्छ बिहार की कुछ चितमहाल भूमि पाकिस्तान से घिरी हुई है तथा पाकिस्तानी रांगपुर ज़िले की कुछ चितमहाल भूमि भारत में है। पारपत्र पद्धति के कारण इन स्थानों में रहने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई हुई है वे पारपत्र के बिना बाहर नहीं जा सकते। वहां कोई फोटोग्राफर भी नहीं है। वे जिलाधीश के पास भी नहीं जा सकते। मैं ने इसके विषय में कच्छ बिहार के ज़िला मजिस्ट्रेट को लिखा था। उसने उत्तर दिया कि इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गई है तथा उसके आदेशों की प्रतीक्षा की जारही है। उत्तर बंग समाचार पत्र के अनुसार वहां के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कच्छ बिहार के पाकिस्तानियों की भी यही दशा होगी। क्या सरकार इन लोगों के लिए कुछ कर रही है ?

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : पिछले वक्ताओं ने पारपत्र पद्धति से उत्पन्न हुई कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है तथा उसे हटा देने के लिए कहा है। यदि पाकिस्तान सरकार इसे हटाना चाहे तो हमारी सरकार को कोई आपत्ति न होगी। मेरी शिकायत यह है कि ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर पाकिस्तान का नियंत्रण हो जाता है हमारी सरकार सदैव असहाय बनी रहती है।

यहां कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि पाकिस्तान पर आर्थिक पाबन्दियां लगाई जायें। प्रधान मंत्री जी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। परन्तु पाकिस्तान ने पहले से ही बिना घोषणा किये हुए हम पर आर्थिक पाबन्दियां लगा दी हैं। मैं एक दो उदाहरण दूंगा।

त्रिपुरा के व्यक्तियों को पाकिस्तान से चावल मिलता था। अब पाकिस्तान ने वहां से चावल आना बंद कर दिया है। कुछ पाकिस्तानी भी भारत के क्षेत्र से चावल पाते थे। हमारी सरकार ने उन्हें लाखों मन धान हमारे यहां से ले जाने दी। इधर हमारे देशवासी भूखों मर रहे हैं। उन्हें चावल नहीं मिलता तथा हमारी सरकार उदारता बतला रही है। हमें पाकिस्तानियों को वह धान नहीं ले जाने देना चाहिये था।

पाकिस्तान ने जानबूझ कर यह पारपत्र पद्धति कुछ विशेष प्रयोजन से आरम्भ की है। कुछ मुसलमानों को भी इससे कष्ट हो रहा है। दृष्टांक और स्वदेश प्रत्यागमन पत्र देने में पाकिस्तान विभेदीय नीति का पालन करता है। जो लोग पूर्वी बंगाल जाना चाहते हैं

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

उनसे पाकिस्तानी नागरिक होने का प्रमाण तथा वहां जाने का प्रयोजन पूछा जाता है। बहुत से व्यक्तियों से पाकिस्तानी अफसरों के प्रतिहस्ताक्षर किये गये प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं। उनसे पैसे मांगे जाते हैं। कलकत्ता में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर के कार्यालय में असंख्य लोगों की भीड़ लगी रहती है। जहां लोगों को बहुत तंग तथा अपमानित किया जाता है। काउंटर तक पहुंचने में तीन दिन लगते हैं। लोगों को कई बार कार्यालय आने के लिये कहा जाता है। १६ अक्टूबर को जिन लोगों ने प्रार्थनापत्र दिये थे उनमें से बहुत से व्यक्तियों को अभी तक दृष्टांक नहीं मिले। हमारी सरकार २४ घंटे में दृष्टांक दे देती है। कुछ लोगों से स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार उन पर विश्वास नहीं करती तथा वह नहीं चाहती कि वे लोग वापिस जायें।

कल मुझे श्री कुमुदनाथ सरकार का पत्र मिला है। ३० साल से ये कांग्रेस के सदस्य हैं। इन्होंने पाकिस्तान में रहने का निश्चय किया था। वहां की सरकार ने इन्हें ज़िला अल्पसंख्यक मंडली का सदस्य बना दिया। इन्होंने बतलाया कि अल्पसंख्यकों को बहुत सी असुविधायें हैं तथा दिल्ली पैक्ट की शर्तों को तोड़ा जा रहा है। १९४९ में इन्हें पाबना में कैद कर लिया गया। इस ६४ वर्षीय व्यक्ति को हथकड़ियें आदि पहना कर विभिन्न जेलों में बिना किसी परीक्षण के रखा। बन्दी प्रत्यक्षीकरण के दो प्रार्थनापत्र पूर्वी बंगाल उच्च-न्यायालय को दिये गये। उन्हें छोड़ देने का आदेश दिया गया। छोड़ने के पश्चात् उन्हें फिर से कैद कर जेलखाने में बन्द कर दिया। एक बंध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् हाल ही में उन्हें छोड़ा गया। गत अक्टूबर में ये कलकत्ते आ गये।

एक माननीय सदस्य: उन पर क्या आरोप लगाया गया था ?

डा० एस० पी० मुखर्जी: यह कि वे ठीक व्यक्ति नहीं हैं। वे लोक सुरक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे।

श्री गाडगिल (पूना मध्य): उन्हें गिरफ्तार करने का मुख्य कारण क्या यह नहीं था कि वे हिन्दू थे।

डा० एस० पी० मुखर्जी: यह तो स्पष्ट है परन्तु इसे कैसे लिखा जाता।

अब ये फिर से वापस जाना चाहते हैं क्योंकि पाबना में इन का घर है तथा अन्य सम्बन्धी हैं। इन्होंने प्रधान मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री को अपनी कठिनाई के बारे में पत्र लिखे हैं। उन पत्रों की प्रतियां मेरे पास हैं। ऐसे कई मामले हैं। बहुत से लोगों ने मेरे पास इस आशय के तार भेजे हैं कि उन्हें दृष्टांक नहीं मिल रहा है। १३ जनवरी अन्तिम तिथि निश्चित की गई है। पाकिस्तानी समाचार पत्र यह बात प्रकाशित कर रहे हैं कि वहां रहने वाले लोग यदि १३ तारीख तक नये नियमों की शर्तों को पूरा नही कर सकेंगे तो उनकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जायेगी तथा उहें गिरफ्तार कर लिया जायेगा। वास्तव में सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: नये नियम क्या हैं ?

डा० एस० पी० मुखर्जी: इनके अनुसार उन्हें घोषणा करनी पड़ती है कि वे भारतीय हैं अथवा पाकिस्तानी। उन्हें लोग धमकाते हैं कि यदि वे ये शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी तथा वे कैद कर लिये जायेंगे। उनको इसलिये तंग किया जाता है जिससे कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पाकिस्तान छोड़ दें। यदि पाकिस्तान पारपत्र पद्धति नहीं हटाता तो हमारी सरकार को

चुप नहीं बैठना चाहिए। वह कई प्रकार से दबाव डाल सकती है।

पाकिस्तान हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। पूर्वी बंगाल की सरकार ने पश्चिमी बंगाल की सरकार के वे २५ करोड़ रुपये देने से अस्वीकार कर दिया है जो पूर्वी बंगाल के केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने उधार लिये थे। श्री त्यागी ने राज्य परिषद् में बताया था कि १५ अगस्त से ऋण चुकाने का काम पाकिस्तान को आरम्भ कर देना चाहिये था परन्तु चार महीने बीत जाने पर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया है। पाकिस्तान के भीतर के भारतीय क्षेत्रों में हमारे देशवासियों की जो दशा है उसका वर्णन हम सुन ही चुके हैं।

पूर्वी बंगाल ने आसाम के खासी और जंटिया क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले संतरों, आलुओं और मसालों का निर्यात बन्द कर दिया है। इसके कारण बहुत से लोग आपत्ति में पड़ गये हैं। इसकी परवाह न कर हम पाकिस्तानी सीमेंट के कारखानों के लिये चूना देते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पानों का निर्यात बन्द कर दिया है परन्तु हम उन से सुपाड़ी खरीदते जा रहे हैं। सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव डालने का बिलकुल प्रयत्न नहीं किया। यदि वह हमारी अन्य बातें नहीं मानता तो हम उसे चूना देना बन्द कर सकते हैं। आसाम के मुख्य मंत्री और राज्यपाल ने आसाम के इन क्षेत्रों का दौरा किया था। अपने भाषण में इन लोगों ने वहां के निवासियों को बड़ा आश्वासन दिया था। धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा कि दीर्घावधि में उनकी सारी कठिनाईयों को मिटा दिया जायेगा। पर अभी वे क्या करें। वर्तमान कठिनाइयां तब ही मिट सकती हैं जब कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाये। पाकिस्तान हमारे ऊपर आर्थिक अवरोध लगा रहा है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आसाम से बहुत कम लकड़ी बाहर गई।

करीमगंज से हमारी सरकार ने ५३४ लोगों को पारपत्र दिया है परन्तु आसाम स्थित पूर्वी बंगाल की सरकार के कार्यालय ने एक भी नहीं दिया है। उसी तरह अगरतला से हमारी सरकार ने ३५५ पारपत्र दिये हैं परन्तु पाकिस्तान ने वहां से केवल एक दृष्टांक दिया है। क्या इन मामलों में सरकार बिलकुल असहाय और विवश है? हम उन्हें वे वस्तुएं देते चले जा रहे हैं जो उन्हें आवश्यक होती हैं। श्रीमती चक्रवर्ती ने उस आन्दोलन की चर्चा की जो पूर्वी बंगाल में पारपत्र पद्धति के विरुद्ध किया जा रहा है। उससे इस नीति को बदलना मुश्किल है। सुहरावर्दी जो काम कर रहे हैं उसकी भी उन्होंने चर्चा की। परन्तु इस संसद में तो हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारी सरकार इस मामले में क्या कर सकती है।

यदि पाकिस्तान सरकार हमारे ऊपर आर्थिक अवरोध लगाती है तो हम भी उसका जवाब दे सकते हैं। हम उन वस्तुओं का भेजना बन्द कर सकते हैं जिनके बिना पूर्वी बंगाल का काम नहीं चल सकता। इसके लिए हिम्मत की आवश्यकता है। ठीक बात करने के लिए दृढ़ निश्चय ही जरूरत है। जब तक दोनों बंगाल एक होकर भारत के अंग नहीं हो जाते तब तक आर्थिक अवरोध लगाये बिना वर्तमान समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

डा० एन० बी० खरे : कश्मीर की तरह।

डा० एस० पी० मुखर्जी : उससे अच्छी व्यवस्था हो सकती है। पर अन्तिम रूप से समस्या उसी प्रकार हल होगी।

सरकार की वर्तमान नीति बहुत हानिप्रद है। सरकार के पास ये सब शिकायतें आई होंगी। इन पर हमें मिल कर विचार करना पड़ेगा। ये अखिल भारतीय आन्दोलन का रूप ले सकती हैं तथा इन से साम्प्रदायिक झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। सदन को मालूम है कि पूर्वी बंगाल दिवस शान्ति के साथ

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

मनाया गया था। हमारी सरकार को चाहिए कि वह इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रबंध करे ।

मुझे लाला अचिन्तराम का संशोधन उचित लगा। हमें यह घोषणा कर देनी चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो पूर्वी बंगाल से भारत आना चाहें वे आ सकते हैं तथा उनके पास कानूनी दस्तावेजों के न होने पर भी उन्हें यहां आने दिया जायेगा। कुछ लोगों के संबंधी पूर्वी बंगाल में हैं तथा उनकी दशा बड़ी दयनीय है। वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। लोग पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल जाने से रोक लिये गये हैं। इन कठिनाइयों को मिटाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि लोग अपने हाथों में कानून लें। उस दशा में न मालूम परिस्थितियां कैसी हो जायें तथा लोग पाकिस्तान सरकार या खुद अपनी सरकार के प्रति न जाने क्या व्यवहार करें।

श्री पी० एन० राजभोज : स्पीकर महोदय, मुझे बहुत दुःख होता है कि जब हमारी रिफ्यूजी प्राबलेम के बारे में कोई बहस हाउस में होती है तो जो हमारे अछूत भाई हैं, जिनको आप शेडयूल्ड कास्ट कहते हैं उनका कोई ख्याल नहीं किया जाता। जब भी मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है कि राजभोज साहब खड़े हैं और कुछ न कुछ अछूतों के बारे में कहेंगे। क्या करूं, हमारे देश में जो अछूतों का मामला है, अब तक जो उनकी करुण कहानी रही है, उसको देखते हुए मेरा फर्ज हो जाता है कि उनकी बात हाउस के सामने लाकर कुछ न कुछ सुनाऊं। उन लोगों की फ़िक्र करना मेरा फर्ज है।

(श्री पाटसकर अध्यक्ष पद पर आसीन)

एक माननीय सदस्य : लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिलता।

श्री पी० एन० राजभोज : टाइम तो नहीं मिलता है, स्पीकर महोदय की मेहरबानी रहती है।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) तो जब मौका मिले तभी कह दीजिए।

श्री पी० एन० राजभोज : पूर्वी बंगाल में जो हमारे करीब करीब ६०, ७० फीसदी शेडयूल्ड कास्ट के लोग हैं उन लोगों को यहां आने के लिए जो परमिट सिस्टम और पासपोर्ट सिस्टम लगाया गया है वह बहुत खतरनाक है। हमारे कई भाई पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के समझौते की लम्बी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन वह उसको अमल में नहीं लाते हैं। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट इतनी सख्त है कि वह तो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती है। सिंध में जो हमारे शेडयूल्ड कास्ट के लोगों की करुण कहानी है वह सबसे खराब है। वहां कितने मेहतर हैं उनको वहां जबरन रखा जा रहा है और वह वहां से बाहर आने की कोशिश तक नहीं कर सकते क्योंकि आखिर उनको काम तो करना ही है। मानो उन लोगों ने ही ठेका ले लिया है कि उनको ही करना है। आजकल तो पुराना ज़माना बदल रहा है। हमारी सरकार को कुछ काम करना चाहिए क्योंकि यह सरकार की डयूटी है उनकी रक्षा करे। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वी बंगाल और सिंध के लोग हैं उनकी बहुत करुण कहानी है और बड़े दुःख की बात है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि उन लोगों को वहां से यहां लाने की कोशिश करनी चाहिए उनकी खराब हालत के बारे में मेरे पास पत्र आये हैं, श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने भी कई बार मुझ से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से सारी हालत देखो। मैं कलकत्ते गया और मुझे मालूम हुआ कि उन

लोगों को आने की बड़ी तकलीफ है। बारीसाल, फरीदपुर, खुलना डिवीजन में हम लोगों की ज़्यादा तादाद है। मुझे डर है कि उन लोगों को आने का मौका नहीं मिलेगा और ऐसा मालूम हो रहा है कि उनको जबर्दस्ती धर्मान्तर करना पड़ेगा। मैं ने सुना है कि उनका मुसलमान बनना लाजमी कर दिया गया है। वह तो बेचारे गरीब हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि पासपोर्ट के लिए डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर के पास जाकर खड़े हों। हमारी गवर्नमेंट में भी आज बड़े बड़े लोग हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूर्वी बंगाल के जो शेडयूल्ड कास्ट के लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है। श्री मंडल, जो हमारी पार्टी के, यानी शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से वहां मिनिस्टर बन गए थे, उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि यहां आने पर उन्होंने सोचा कि चलो मिनिस्टर नहीं बने तो नहीं सही लेकिन फिर पाकिस्तान लौट कर नहीं गये, और यहां से ही इस्तीफा भेज दिया। ऐसी परिस्थिति में शेडयूल्ड कास्ट के लोग हैं। हमारे कम्युनिस्ट भाई दोस्ती के वचन बहुत बोलते हैं कि पीस होनी चाहिए, पीस तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आप किस की ओर से चुनकर आये हैं जो लोग पब्लिक की तरफ से चुनकर आये हैं उनको कभी कभी जनता के लिए आवाज़ तो उठानी ही चाहिये।

४ प० म०

अभी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि हिन्दुस्तान ने ठीक नहीं किया पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया। वह कभी कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं कभी अपोज़ करती हैं। यह उनकी पालीसी ठीक नहीं है। जो कुछ उनको सच्चा दिखता है वही बोलना चाहिए। यह बात ठीक नहीं है कि कभी सपोर्ट कर दिया और कभी नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि चाहे वह किसी धर्म के खिलाफ बोलें, पर जो वह चाहती हैं वही हम भी चाहते हैं। हम भी इक्वालिटी चाहते हैं पर मिलती नहीं। मैं हाउस से और मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि वह शेडयूल्ड कास्ट रिफ्यूजीज़ की तरफ खास तौर से ध्यान दें और वह यह कोशिश करे कि वह लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आ सकें, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हमारे और दूसरे बड़े बड़े लोगों के पास फंड है, कमेटियां उनकी सहायता करती हैं और इस तरह उनको हर प्रकार की सहायता मिलती है, लेकिन हन लोगों के पास पैसा नहीं और इसलिए शेडयूल्ड कास्ट वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए मेरा पहला सवाल यह है कि जो पूर्वी बंगाल से इधर आना चाहते हैं उनको पूरी इसकी सुविधा दी जाये। हमको पासपोर्ट का झगड़ा पसन्द नहीं है। इसकी वजह से हमारे लोग नहीं आ सकते। वह यहां आना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कभी दोनों देशों में झगड़ा हो, लेकिन अगर कभी झगड़ा हो गया तो आप कहेंगे कि राज-भोज तुम हमको मिलिटरी के लिए आदमी दो। तो लड़ने को तो हम हैं और खाने को आप हैं। हमारा महान् बटालियन काश्मीर बार्डर के पास काम कर रहा है। वहां न हिन्दू महासभा का बटालियन है और न कम्युनिस्टों का बटालियन है। हमारे भौंसले-साहब जो हैं वह एक मारशल कम्युनिटी के हैं, वह छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। वह यह कैसा बिल लाये हैं। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मैं दूसरे लोगों की तरह यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो आप से यही अपील करता हूं कि आप इन लोगों की ज़्याद्रा से ज़्यादा मदद करें। अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो यह इस देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। हमारे जो पूर्वी बंगाल के शेडयूल्ड कास्ट के भाई यहां बैठे

[श्री पी० एन० राजभोज]

हुए हैं, वह कुछ नहीं बोले हैं,। लेकिन मने जो इन रिफ्यूजीज की हालत देखी उससे मुझे तो रोना आ गया। उनके रहने के लिए जगह नहीं है। रिफ्यूजीज के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्च किया है लेकिन यह सवाल अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। मैं हिरोशिमा गया था जहां बमबारी हुई थी। लेकिन थोड़े ही दिनों में हिरोशिमा में मकान बन गये और वहां रिहैबिलिटेशन हो गया। लेकिन हमारे देश को आज़ादी मिले इतने दिन हो गये, अभी तक रिफ्यूजीज़ का सवाल भी पूरा नहीं हुआ है। इसी वास्ते मैं कहत / हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे। जब कोई तप करता है तो उसको राज्य मिलता है, पर जब कोई अच्छा राज्य नहीं करता है तो उसको नर्क भी मिलता है। तो यह सवाल अपने देश का है। यह देश हमारा और आपका सबका है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो कहा जाता है कि गाली देते हैं। हो सकता है कि खरे साहब ने जो कहा वह भी इसी कारण कि उनको भी चोट लगी होगी। जिन लोगों में मैं पैदा हुआ हूं उनकी मदद करना आपका मुख्य कार्य है। हमारे जो लेता लोग हैं उनको यहां आना चाहिए। भंगी लोगों ने एक ही काम करने का कोई ठेका तो नहीं ले रखा है।

चटागांव में जब हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं पर उन पर भी जुल्म हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप हमारे सवाल को उठायेंगे तो हम से आप जितनी मदद चाहेंगे हम देंगे। मगर आपका दिल साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट में तो कुछ और बात है और ऊपर सफाई है। हम जब गवर्नमेंट की गलती बताते हैं तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि हम भी अपनी गवर्नमेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने जो मुझे समय दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं हमारे मिनिस्टर साहब उनको अमल में लायेंगे।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला): इसमें कोई संशय नहीं कि पारपत्र पद्धति खराब है। सब कोई जानता है कि इससे हमें बहुत कठिनाई हुई हैं। परन्तु यह प्रस्तुत वादविवाद का विषय नहीं है। अभी जो संशोधन हमारे सामने आया है वह आवश्यक है। इसके स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने का यह अर्थ नहीं होता कि हमने पारपत्र पद्धति को सदा के लिए स्वीकार कर लिया है अथवा अस्वीकार कर दिया है। पारपत्र पद्धति दुखद है परन्तु आवश्यक है। बदला लेने के लिए हम इसे आरम्भ नहीं कर रहे हैं। हम अपने बचाव के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। इससे जो कठिनाइयां हों उन्हें कम किया जा सकता है। इन कठिनाइयों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली कठिनाई पाकिस्तान के अल्प संख्यकों की होगी जो भारत में आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को यहां आने में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए चाहे पाकिस्तान ने उन्हे पार-पत्र भले ही न दिया हो।

दूसरी कठिनाई उन हिन्दुओं को होगी जो पाकिस्तान में हैं या जो लोग यहां से पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इस बारे में कोई भी सरकार कानून बना सकती है। हमारे संविधान में दी गई नागरिक की परिभाषा के अनुसार पूर्वी बंगाल की अल्पसंख्यक जातियों के अधिकांश लोग भारत के नागरिक हैं। उनकी विपत्ति को हमारे नागरिकों की विपत्ति ही समझना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान के विरुद्ध आर्थिक अवरोध लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। पाकिस्तान

ने हमारे नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार किये हैं उनको अब अधिक समय तक भुलाया नहीं जा सकता। यदि सरकार इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो हमारे देश-वासियों का धैर्य समाप्त हो जाएगा। अतएव पाकिस्तान के ऊपर राजनैतिक दबाव डालने की बड़ी आवश्यकता है। हमें बता देना है कि हमारे पास पर्याप्त शक्ति है जिसका उपयोग हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कर सकते हैं।

सरकार को इस समय हमारे विचारों को मालूम करना चाहिए। पाकिस्तान की तरह हमें भी पारपत्र आदि के बन्धन लगाने पड़ेंगे परन्तु उन लोगों के लिए ये बन्धन ढीले कर दिये जायेंगे जिन्हें हमारे देश नागरिक होने के नाते यहां आने का अधिकार है। यह संशोधन आवश्यक है अतएव यह स्वीकार किया जाना चाहिए परन्तु यदि पाकिस्तान पर दबाव डालने का अवसर आए तो नहीं चूकना चाहिए। उसे यह बतलाना चाहिए कि हमारे पास बदला लेने की शक्ति है। अभी तक हमने बड़ी उदारता दिखाई है।

बाबू रामनारायण सिंह : (हज़ारी-बाग़ पश्चिम) : सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है, जिस पर कुछ बोले बिना नहीं रहा जाता। इस विषय में अधिक तो बोलना नहीं है, एक ही दो बात बोल कर मैं बैठ जाऊंगा। मैं इस लोक सभा के प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं, कि भाई कम से कम इस विषय को दलबन्दी का विषय नहीं रखा जाये। यदि रखना चाहिए कि एक तो दलबन्दी हमेशा के लिए खराब है और दूसरे मैं यह कह देता हूं कि आज हो या पचास वर्ष के बाद हो, यदि देश में शांति और सुख हम चाहेंगे तो दलबन्दी खत्म करनी होगी। आज कौन नहीं जानता कि पूर्वी बंगाल या पश्चिमी पंजाब मिलाकर यह सब हमारा एक भारतवर्ष देश था। हम लोग गरीब ४२-४३ करोड़ भारतवासी एक भारत-माता की सन्तान थीं। आज दुर्भाग्यवश, संयोगवश, देश बंट गया। पश्चिमी पाकिस्तान का जहां तक हिसाब है, बहुत से लोग मारे गये, काटे गये, बहुत से आ गये। अब प्रश्न है पूर्वी बंगाल का। अभी भी वहां करीब ९० लाख हिन्दू हैं। सभापति महोदय, जितने हम लोग यहां पर बैठे हैं, उन लोगों को ज़रा इस तरह से विचार करना होगा कि हम लोगों में से किसी व्यक्ति को हमारे भौंसले साहब को चाहे अजीत प्रसाद जैन जी को, दुश्मनों के बीच में रख दिया जाये या किसी शेर के सामने इन लोगों को रख दिया जाये, तो इनकी भावना कैसी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि आज ९० लाख के करीब हिन्दू उसी तरह अपने को समझ रहे हैं। आज आपने जो आज़ादी पाई है वह उन लोगों को बलिदान करके ही पाई है। यह मान लेना होगा। यदि हम भले व्यक्ति हैं और यदि हम लोग कृतज्ञ हैं तो इतना मान लेना पड़ेगा कि हम लोगों ने उनकी बदौलत उनका बलिदान देकर, आज़ादी पाई है। यह मान लेना होगा कि वे हमारे भाई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है। यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में इस तरह की परम्परा चली आती है कि दुनिया के किसी कोने से भी कोई व्यक्ति भारत के शासक के पास पत्र लिखता था कि मैं तुम्हारी शरण में हूं तो उसकी रक्षा के लिए वह अपना सर्वस्व त्याग कर देता था। तो मैं सब भाइयों से कह सकता हूं, सारे हिन्दुस्तान के रहने वालों से कह सकता हूं, हिन्दुस्तान की सरकार से भी कह सकता हूं कि वे ९० लाख भारतवासी आपके अपने हैं, आप उनके हैं, वे आपकी शरण में हैं और अपनी रक्षा के लिए वे आपकी तरफ देख रहे हैं।

सभापति महोदय यह मानवता का तकाज़ा है कि भारतवासी जितने हम ३५

[बाबू रामनारायण सिंह]

करोड़ लोग हैं वे उनकी रक्षा के लिए हम से जो बन पड़े वह करे। और जो बन पड़े के माने यहां तक हैं कि यदि भारतवर्ष का उनकी रक्षा के कार्य में नाश भी हो जाये तो भी उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, यदि हम लोग मनुष्य * हैं, यदि हम उनको अपना समझते हैं। जब मैं यहां इस विषय में किसी तरह का मतभेद देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है। अभी हमारे एक मित्र श्री फीरोज गांधी ने प्रश्न किया था जब सुचेता कृपलानी बोल रही थीं कि क्या उपाय है ? अजी साहब, यों तो हिन्दी में भी बहुत सी ऐसी कहावतें हैं, लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था तो आपने पढ़ा होगा, व्हेयर देयर इज़ ए विल, देयर इज़ ए वे, जब आप काम करना चाहेंगे तो उपाय मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बहुत ज्यादा कष्ट की बात यह आती है कि लोग कहते हैं कि क्या करें।

सभापति महोदय, ३५ करोड़ भारत-वासियों की यह सरकार है और इसके हाथ में सारे देशभर की शक्ति और सम्पत्ति है, यह सरकार क्या नहीं कर सकती ? करने के लिए हृदय और संकल्प होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यदि आप करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, करने के लिए दिल होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, बिना संकल्प के कोई काम नहीं हो सकता और जब मैं आपको असहाय की तरह यह कहते सुनता हूं कि भाई हम क्या करें, तो मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं आप से कहूंगा कि अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। इधर से जब कोई बोलता है और हम लोग बात करते हैं तो उधर वाले ऐसा समझते हैं कि हम लोग जो भी बात करते हैं वह हमेशा युद्ध की ही बात करते हैं। लेकिन यह बात नहीं है, हम युद्ध की बात नहीं करते हैं, और न हम युद्ध चाहते हैं। मेरी इतनी उम्र हो गई है और मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि युद्ध से क्या क्या कष्ट होते हैं। मैं जानता हूं कि युद्ध का क्या परिणाम होता है, लेकिन साथ ही यह भी जानता हूं कि जो देश, समाज और जाति युद्ध के लिए तैयार नहीं रहती है उस राष्ट्र, देश व जाति को दुनिया में रहने को कोई हक नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो कहता हूं कि जैसे यहां उधर से असहायों की तरह बात की जाती है नामर्दों की तरह कि क्या करें वह नहीं होना चाहिए। आप समर्थ हैं, करना चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। * * * *

सभापति जी, मैं जो कह रहा था वह यह था कि जब मैं उनके मुंह से यह सुनता हूं और जैसा मेरे फीरोज़ भाई ने कहा है कि बोलो हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा दुःख और तकलीफ होती है। करने के बारे में तो मुझे कहना है कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर करने का दिल और संकल्प हो।

जैसे अभी श्यामाप्रसाद मुखर्जी साहब ने कहा था कि उधर से तो लोग कुछ लाने नहीं पाते, लेकिन पाकिस्तान को यहां से चीजें भेजी जाती हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनकर लोगों के दिल में कैसी भावना उठेगी ? कहते हैं कि हमको उधर से कोई मदद नहीं मिलती, और इधर से हर तरह की मदद दिये जा रहे हैं ? इस प्रकार का बर्ताव हो तो लोग क्या कहेंगे ? लेकिन मैं कहता हूं कि जो कुछ करना है और जो हमारे और भाइयों ने भी कहा है, मुझे इस विषय में दुःख होता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस मामले में पार्टी का सवाल नहीं लाना चाहिए। सबको अपने मन की बात बोलनी चाहिए।

* सभापति के आदेशानुसार निकाल दिया गया—सम्पादक, संसदीय प्रकाशन

में जानता हूं कि बहुतों के दिलों में, प्राय: सभी के दिलों में एक ही बात है, लेकिन पार्टी की वजह से बोलते नहीं हैं। लेकिन इसके लिए कई प्रकार के उपाय काम में लाये जा सकते हैं जिससे जो हमारा मकसद है अर्थात् जो लोगों के कष्ट हम दूर करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जैसा हमारे श्यामा बाबू ने भी कहा था कि सब बातों में तरीके निकल सकते हैं। हम लोग तो सत्य-अनुयायी लोगों की तरह से कुछ बात कह देते हैं। तो जैसे और लोग भी कहते हैं कि एकानामिक सैंक्शन लागू करो, अर्थात् रोज़गार पाकिस्तान के साथ बन्द करो। तो, सभापति महोदय, मैं सब भाइयों से निवेदन करूंगा और सबसे अर्ज़ करूंगा, और जो सरकार में काम कर रहे हैं उनसे भी कहुंगा कि भाई अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो संसार में उपाय की कमी नहीं है। ऐसा कभी न कहो "क्या करूं"। मैं, सभापति महोदय, आपसे कहता हूं कि कई बार पाकिस्तान से सुलह हुई, अनेक शर्तें हुईं और यहां पर आकर वे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों ने तो शर्तों के मुताबिक काम किया, लेकिन पाकिस्तान वाले नहीं करते। इसके क्या माने। इसका क्या मतलब है ? सभापति महोदय, मैं कड़ी बात नहीं बोलना चाहता लेकिन शास्त्र के बचन हैं :

"हितं मनोहारि च दुर्लभं वच"

अर्थात् हित की बात मीठी होनी कठिन है। मैं कहता हूं कि दो आदमियों में बात होती है और कुछ तय होता है एक आदमी उस बात को मानता है और दूसरा नहीं मानता तो वह किस मुंह से पहले के साथ बात करेगा। पाकिस्तान के साथ बार बार सुलह हुई है और वह बार बार तोड़ते हैं तो वह किस मुंह से, किस साहस से, किस अक्ल से वह बात करते हैं। मैं यह कहता हूं कि एकानमिक सैंक्शन कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि युद्ध कर सकते हैं, लेकिन कम से कम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर पाकिस्तान से सम्बन्ध तो तोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान से कोई न आने का सम्बन्ध न कोई जाने का सम्बन्ध। यह तो कर सकते हैं। अगर मनुष्य कुछ करना चाहेगा तो उनके लिए रास्ते की कमी नहीं रहती है, हां, अगर वह मनष्य पत्थर हो गये हैं, तो इसका कोई उपाय ही नहीं है। मैं कहूंगा कि हम लोग जो अनुभवी लोग हैं उनकी बात पर एक दफा तो अमल करो। किसी ने कहा कि मैं कड़े शब्द बोलता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने ३५ करोड़ भारतवासियों का भार अपने ऊपर लिया है। यह आसान काम नहीं है। आपका इतना बड़ा हृदय होना चाहिए, कलेजा होना चाहिये, अक्ल होनी चाहिए कि हमारे जैसे आदमियों की आलोचना में आप अपना कल्याण देखें। यह नहीं कि कड़ी बात सुनकर आप लोग क्रोध कीजिए। यह अक्ल की बात नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो अवश्य कीजिए। और ऐसी बात न बोलें कि कोई अगर ठीक रास्ता नहीं चलता तो हम क्या करें। जिसको यह-बात बोलना है वह इसके बोलने से पहले ही यहां से इस्तीफा दे दे। यही धर्म का तकाज़ा है। यह नहीं कि करेंगे भी कुछ नहीं और बैठे भी रहेंगे।

इसलिए ये सब कहते हुए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और सभी भाइयों से कहता हूं, खास कर मंत्री लोगों से कि अगर कुछ भी करो तो उस करने से काम चल जायेगा। इसी तरह सबका कल्याण होगा आप का कल्याण होगा और हम लोगों का भी कल्याण होगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस पद से हट जाओ।

डा० एम० एम० दास : (बर्दवान-रक्षित-अनसूचित जातियां) : अभी माननीय राजभोज ने अनुसूचित जातियों के लोगों की

[डा० एम० एम० दास]

कठिनाइयां बतलाई। मैं उनके प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं।

पहले अनुसूचित जाति के लोगों के कारण पूर्वी बंगाल में हिन्दू बहुसंख्या में थे। किन्हीं कारणों से विभाजन के पूर्व उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस कारण वहां मुसलमानों की बहु संख्या हो गई। पहले उनके साथ मुसलमानों की अपेक्षा खराब व्यवहार किया जाता था।

अनुसूचित जाति के प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपनी गिरी हुई जाति का शोक रहता है। उन पर पूर्वी बंगाल में जो बीत रही है उसको प्रकट करना मैं आवश्यक समझता हूं। वे अपढ़ हैं तथा कानून से अनभिज्ञ हैं। आज वे साम्प्रदायिकता के शिकार हो रहे हैं।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों के लिए वे देश के द्वार सदैव खुले रखें जिससे कि वे जब चाहें तब आ सकें।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरंग) : डा० मुखर्जी ने कहा कि यह समस्या तब ही हल होगी जब पूर्वी बंगाल भारत का भाग बन जाएगा। उनका यह वक्तव्य ठीक नहीं है। भारत में पूर्वी बंगाल के मिल जाने की कोई संभावना नहीं है। जब हैदराबाद पर हमला होने वाला था तब किसी को उसका पता तक न था।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं अपना सुझाव वापिस लेता हूं।

एक माननीय सदस्य : हैदराबाद पर हमला नहीं हुआ था वह तो केवल पुलिस कार्यवाही थी।

श्री के० पी० त्रिपाठी : हमें उन बातों के कहने में सावधान रहना चाहिए जो हम नहीं करना चाहते। पूर्वी पाकिस्तान बन ही चुका है उसके बारे में ऐसे वक्तव्य देने से कोई लाभ न होगा। वे पाकिस्तान के समाचार-पत्रों में मोटे अक्षरों में छापे जायेंगे।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैंने केवल यह कहा था कि दोनों बंगालों के निवासियों के सहयोग से ऐसा किया जा सकता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : तब वह दूसरी बात है। यदि वे स्वेच्छा से मिलना चाहें तो ठीक है।

डा० मुखर्जी ने दूसरी बात सीमाक्षेत्र के लोगों के बारे में कही। गारू, खासी, लुशाई पहाड़ियों में रहने वाले जनजाति के लोग पहले पाकिस्तान को आलू और संतरे भेजते थे। अब पाकिस्तान ने आर्थिक अवरोध लगाकर उन्हें लेने से अस्वीकार कर दिया है। उनके सीमेंट के कारखाने चलाने के लिए हम चूना भेजने जा रहे हैं। मंत्री जी फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कोई आर्थिक अवरोध नहीं लगाया।

डा० मुखर्जी ने आसाम के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों की बात की जिनसे उन क्षेत्रों के लोगों की वर्तमान समस्याएं बिलकुल नहीं सुलझतीं। फिर भी आसाम के मुख्य मंत्री जी उन लोगों की सहायता कर रहे हैं। उनको नियंत्रित दर पर चावल दिया जा रहा है। पहिले सिलहट से वहां पर चावल आता था।

डा० मुखर्जी ने ठीक कहा कि पाकिस्तान से हमें सद्व्यवहार करना चाहिए परन्तु यदि वह दुर्व्यवहार करे तो उसके लिए उचित प्रबन्ध करने की हमारे पास निश्चित नीति होनी चाहिए। सीमाक्षेत्रों में पाकिस्तान की नीति का कुपरिणाम मिटाने के लिए हमें वहां का व्यापार अन्य स्थानों से स्थापित करना चाहिए था। सरकार इस बात में असफल रही है। इस कारण वहां के लोगों की दशा

बड़ी शोचनीय हो गई है। हाल ही में आसाम सरकार ने इसकी जांच करने के लिए एक विशारद समिति नियुक्त की है जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है। सीमाक्षेत्र के लोगों ने सीमा पर धान बोई थी वे लोग उस फसल को नहीं काट पाये क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस ने उन पर गोलियां चला दीं। सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं किया। जनजाति क्षेत्रों के लोग पान और संतरों का उत्पादन करते हैं। उनकी बिक्री से ही वे अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। यदि वे लोग इन वस्तुओं को न बेच पायेंगे तो इन लोगों की जीविका मारी जाएगी।

पाकिस्तान हमारे ऊपर आर्थिक नाकेबन्दी नहीं कर रहा है। इस विषय में उसकी एक नीति है। ये क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय नहीं हैं। अंग्रेज इन क्षेत्रों को उत्तरी बर्मा के साथ मिलाकर एक स्वतन्त्र राज्य बनाना चाहते थे। इसका प्रचार अभी भी किया जा रहा है। एक यूरोपीय सज्जन डिगबोई में हैं। वे नागाओं के मित्र हैं। वे यह प्रचार कर रहे हैं। इसी कारण नागा हमारे निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे हैं। सरकार को इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। गारो, खासी और लुशाई की पहाड़ियों के लोगों पर आर्थिक अवरोध लगाने में पाकिस्तान का अभिप्राय यह है कि वे लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान से मिल जायें। पश्चिमी बंगाल पर भी आर्थिक दबाव डाला जा रहा है। अतएव डा० मुखर्जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि इस विषय में सरकार की कोई निश्चित नीति होनी चाहिए। यदि पाकिस्तान दुर्व्यवहार करता है तो इन लोगों की उपज को अन्यत्र बिकवाने का प्रबन्ध करना चाहिए। इन स्थानों में अधिक रुपये व्यय करने पर भी सड़कें नहीं बन सकतीं; सलिए अन्य कोई विधि सोचनी चाहिए। वहां चावल बांटा जा रहा है। यह अच्छी बात है। यदि भारत सरकार उन्हें सहायता देगी तो वे भारत के प्रति वफादार बने रहेंगे।

खासी पहाड़ी की सीमा पर लगे हुए विभाजन चिन्हों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है तथा पाकिस्तान ने हमारी बहुत सी भूमि दबा ली है। सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया। सरकार को सीमा क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए तथा मालूम करना चाहिए कि कहां कहां पर व्यापार अवरोध किया जा सकता है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस विषय में एक नीति होनी चाहिए। केवल विधान बनाने से कोई लाभ न होगा। लाला अर्चितराम के संशोधन की कोई आवश्यकता ही न होनी चाहिए थी। यदि भारत सरकार सोच विचार कर काम करती तो ये प्रश्न उठते ही नहीं। मुझे आशा है कि सरकार उन क्षेत्रों का पता लगाएगी जहां से खतरे की आशंका है और जिन कारणों से भारत के प्रति उन लोगों की वफादारी में भेद पड़ सकता है।

सभापति महोदय : इस विधेयक का सम्बन्ध पाकिस्तान से जन प्रवाह (नियंत्रण) अधिनियम के निरसन से है। उस अधिनियम के निरसन का विरोध कोई नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए ही विविध सुझाव दिये जा रहे हैं। यह प्रश्न भी बड़े महत्व का है और मैं इसके वादविवाद को समाप्त नहीं करना चाहता। यद्यपि कोई संवरण प्रस्ताव नहीं किया गया है फिर भी सदन में लगभग सारे सुझाव दिए जा चुके हैं। उन सुझावों को दुहराने से समस्या हल नहीं होगी। जब तक संवरण प्रस्ताव न होगा तब तक मैं वादविवाद चलाने दूंगा। कृपया पहले कही गई बातों को न दुहराइए।

श्री सारंगधर दास: मुझे दुहराने की आदत नहीं है और मैं बहुत थोड़ा समय लिया करता हूं। मुझे कुछ सुझाव देने हैं

[श्री सारंगधर दास]

पहली बात यह है कि भारत में जो पाकिस्तानी क्षेत्र हैं उनके साथ भारत सरकार अच्छा व्यवहार कर रही है, परन्तु पाकिस्तान में जो भारतीय क्षेत्र हैं उनके साथ पाकिस्तान सरकार खराब व्यवहार कर रही है। मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सामरिक महत्व के जनजाति क्षेत्रों में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अंग्रेजों ने नागाओं में इस बात का प्रचार किया था कि वे स्वतन्त्रता मांगें। यदि उस क्षेत्र में कोई अंग्रेज मिशनरी काम कर रहा है तो उसे भारत के हितों के विरुद्ध प्रचार कैसे करने दिया जा रहा है। आसाम को जोड़ने वाली रेल को हमें सबल बनाना चाहिए। उसी के द्वारा आसाम के लोग हम से व्यापार कर सकेंगे। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि जब बंगाल प्रश्न पर सदन में विवाद होना है तो उस पक्ष के लोग उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते तथा कई प्रकार की बाधाएं डालते हैं। मैं उड़ीसा का हूं। मैं बंगाली नहीं हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे ?

श्री सारंगधर दास: जी।

सभापति महोदय : कल पौने ग्यारह बजे तक के लिए सदन की बैठक स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शनिवार ६ दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।